Pt. Ravi Shastri

गोडसे की आवाज सुनो

वह अदालती बयान

जिसे ५० साल पहले

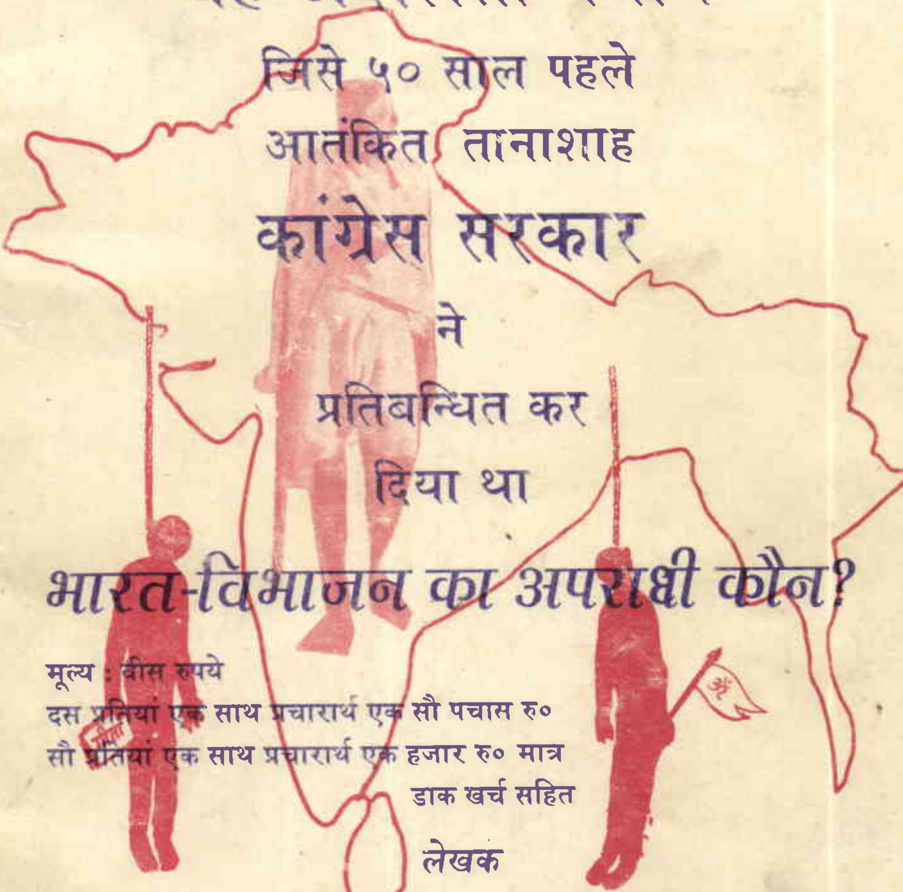
आतंकित तानाशाह

कांग्रेस सरकार

ने

प्रतिबन्धित कर

दिया था



भारत-विभाजन का अपराधी कौन?

मूल्य : बीस रुपये

दस प्रतियां एक साथ प्रचारार्थ एक सौ पचास रु०

सौ प्रतियां एक साथ प्रचारार्थ एक हजार रु० मात्र

डाक खर्च सहित

लेखक

जगदीश बल्लभ गोस्वामी

प्रकाशक

विकल्प प्रकाशन

२२०५, बैंक स्ट्रीट, करौलबाग, नई दिल्ली ११०००५

मुद्रक एवं वितरक : विकल्प प्रकाशन, ३३१४, बैंक स्ट्रीट, करौलबाग, नई दिल्ली-११०००५। दूरभाष : ०११-५७२३२३१

प्रकाशक : वीर सावरकर विचार मंच,
'कृष्णानुराग', १५ बसन्त बिहार कॉलोनी
आगरा-२८२००५, दूरभाष : ०५६२-३८२१२३

दृष्टव्य : इस पुस्तक में दिये सभी तथ्यात्मक विवरण तथा हुतात्मा नथूराम विनायक गोडसे के ऐतिहासिक लिखित अदालती बयान का संक्षिप्तीकरण उनके आजन्म कारावास भोगी कनिष्ठ भ्राता श्री गोपाल गोडसे द्वारा लिखित "गांधी वध क्यों?" तथा "गांधी वध और मैं" पुस्तकों से अनुमति प्राप्त कर किया गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में गांधी वध की पूर्ण और विशद जानकारी के लिए श्री गोपाल गोडसे द्वारा रचित सम्पूर्ण साहित्य अवश्य पढ़े ऐसा सभी सुधी और जिज्ञासु पाठकों से विनम्र आग्रह है।

आवृत्ति : प्रथम आवृत्ति ३० जनवरी, १९९८
(गांधी वध का ५०वां वर्ष) एक हजार
द्वितीय आवृत्ति-संशोधित एवं परिवर्धित-१५ अगस्त, १९९८
(भारत के त्रासद विभाजन का ५१वां वर्ष) दो हजार

विशेष : **प्रकाशन हमारा व्यवसाय नहीं, हिन्दू जागरण हेतु एक पवित्र अनुष्ठान है।**

मूल्य : बीस रुपये
(राशि अग्रिम प्राप्त होने पर डाक खर्च की छूट)

विषय सूची

गोपाल गोडसे
७५४, सदाशिव पैंठ, कुमठेकर मार्ग
जनता बैंक वास्तु, पुणे-४११०३० (महाराष्ट्र)
दूरभाष : ०२१२-४८६८०४

दिनांक : १०.६.९८

अनुमति पत्र

हुतात्मा पण्डित नथूराम गोडसे का गांधी वध अभियोग में न्यायालय में प्रस्तुत किया वक्तव्य (बयान) गांधीवध क्यों? इस नाम से प्रकाशित करने के अधिकार मैंने सर्वश्री सूर्यभारती प्रकाशन, नयी सड़क, दिल्ली-११०००६ को दिये हैं। इस वक्तव्य का अधिकारधिक प्रसार हो इस हेतु उसका लघुरूप कर वह अल्प मूल्य में प्रकाशित करने की योजना श्री जगदीश बल्लभ गोस्वामी, १५, बसन्त बिहार, आगरा-२८२००५ ने बनायी है। श्री गोस्वामी जी के प्रकल्प मैं अनुमति प्रदान करता हूं।

—गोपाल गोडसे

Pt. Ravi Shastri

मराठी दैनिक "अग्रणी" तथा "हिन्दू राष्ट्र" के यशस्वी सम्पादक,
वीर-व्रती और युगदृष्टा हुतात्मा

नथूराम विनायक गोडसे



जन्म १९ मई, १९१०
आत्मोत्सर्ग (फांसी) अम्बाला सैन्ट्रल जेल
१५ नवम्बर १९४९

मराठी दैनिक "अग्रणी" तथा "हिन्दू राष्ट्र" के संचालक, अद्वितीय हिन्दू संगठन कर्त्ता, हुतात्मा नथूराम विनायक गोडसे के अनन्य सहयोगी तथा सखा अमर शहीद

श्री नारायण दत्तात्रेय आपटे "नाना"



जन्म सन् १९११

आत्मोत्सर्ग (फांसी) अम्बाला सैन्ट्रल जेल

१५ नवम्बर १९४९

गांधी वध क्यों और कैसे हुआ?

बीसवीं शताब्दी के इस सबसे चर्चित राजनैतिक वध की पर्त-दर-पर्त प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हुतात्मा नथूराम गोडसे के आजन्म कारावास भुगते कनिष्ठ भ्राता श्री गोपाल गोडसे द्वारा लिखित निम्नांकित पुस्तकें अवश्य पढ़ें।

१. **गांधी वध और मैं**
(पृष्ठ : ३७५ / मूल्य : १०० रुपये)

२. **गांधी वध क्यों?**
(सचित्र पृष्ठ : १२० / मूल्य : ४० रुपये)

३. **Qutub Minar is Vishnu Dhwaja**
(अकाट्य वास्तुशास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर कुतुब मीनार को १०वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित हिन्दू मन्दिर सिद्ध करने वाला अंग्रेजी में लिखित ३० चित्रों के साथ १०९ पृष्ठीय एक गहन शोध प्रबन्ध)
मूल्य : १५० रु०

—प्राप्ति स्थल—

विकल्प प्रकाशन
३३/१४, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष : ०११-५७२३२३१

●

गोपाल गोडसे
७५४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे-४११०३०
दूरभाष : ०२१२-४८६८०४

●

वीर सावरकर विचार मंच
१५, बसन्त बिहार, आगरा - २८२००५
दूरभाष : ०५६२-३८२१२३

आमुख

गांधी जी के विचार—पाकिस्तान निर्माण के समय

अरे हिन्दुओ! तुम पाकिस्तान से जान बचा कर क्यों आए, तुम्हें वहीं मर जाना चाहिये था।

"मैं अपना शेष जीवन पाकिस्तान में व्यतीत करना चाहता हूं।" पाकिस्तान के प्रति अपार स्नेह से भरे यह उद्‌गार किसी धर्मान्ध हिन्दू-विद्वेषी कठमुल्ले के नहीं बल्कि भारत के एक धर्म-परायण हिन्दू परिवार में जन्में उस राजनैतिक शक्ससियत गांधी के हैं जो पूरे तीन दशक तक अविभाजित भारत के ३२ करोड़ हिन्दुओं को अन्त तक यह दिलासा देकर भ्रमित करता रहा कि पाकिस्तान नहीं बनेगा और यदि बना तो वह मेरी लाश पर बनेगा। इसी महान हिन्दू राजनैतिक हस्ती ने पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना को, उसके नापाक कदमों पर नाक रगड़-रगड़ कर, न सिर्फ 'कायदे आजम' बना दिया बल्कि हिन्दुओं को सेक्यूलर ब्राण्ड अफीम की खुराक-दर-खुराक देकर अन्ततः देश के एक तिहाई भाग को 'दारूल इस्लाम' में परिवर्तित करा कर उसे इस्लामी परम्परानुसार करोड़ों हिन्दुओं की कब्रगाह बनाकर ही विश्राम लिया। यदि इनका वश चलता तो उन लाखों हिन्दू और सिक्खों को भी उन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम लीगी गुण्डों से कटवा दिया होता जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत में शरणार्थी के रूप में शरण लेने में सफल हो गये थे। उन्होंने सन्‌ १९४७ में पाकिस्तान में सर्वस्व लुटाकर आये शरणार्थियों से खुले शब्दों में कहा था कि वे यहां भारत में जान बचाकर क्यों आये? उन्हें वहां मर जाना चाहिये था। **अगर मुसलमान सभी का मार डालें तो हिन्दुओं को मर जाना चाहिए क्योंकि मारने वाले हमारे मुस्लिम भाई ही तो हैं। दुर्भाग्य से ये कांग्रेसी रहनुमा जीवन भर सर्व-धर्म-समभावी हिन्दुओं को तो धर्म-निरपेक्षता का उपदेश देते रहे** जो जन्म से धार्मिक सहिष्णुता में अटूट विश्वास रखते हैं, पर जिहादी मुसलमानों को जिन्हें, जन्म के साथ मजहवी कट्टरता और अन्य सम्प्रदायों के प्रति हिंसा और नफरत का जहर घुट्टी में पिलाया जाता है और मदरसों में काफिरों से आजन्म लड़ते रहने की उत्तेजक कुरआनी आयतें रटा-रटा कर जिहाद के लिए तैयार किया जाता है, धर्म-निरपेक्षता का एकमेव ठेकेदार मानते रहे। मेरी चुनौती है कि संसार के पर्दे पर कोई मुसलमान धर्म-निरपेक्ष नहीं हो सकता। यदि कोई मुसलमान अपने को धर्म-निरपेक्ष कहता है तो वह कुरान, सुन्ना और हदीस के अनुसार सच्चा मुसलमान नहीं है। उसे इन

अपनी मजहवी पुस्तकों में लिखित कुफ्र और काफिर, जिहाद और जजिया, दारूल हरब और दारूल इस्लाम जैसे हिंसक और आतंकवादी आदेशों को खारिज करना होगा क्योंकि कुरान में जगह-जगह बहुदेव वादियों, मूर्तिपूजकों और गैर मुस्लिमों को काफिर करार देते हुये उन्हें सपरिवार मौत के घाट उतारने के स्पष्ट आदेश लिखित में दिये गये हैं। स्वयं हजरत मोहम्मद ने अपने जीवन काल में हजारों बेगुनाह पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की अपने हाथ से निर्ममतापूर्वक हत्यायें की हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम मत स्वीकार करने से दृढ़तापूर्वक इन्कार कर दिया था। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक एच.जी. वेल्स ने अपने ग्रन्थ 'विश्व इतिहास की रूपरेखा' में लिखा है कि जब तक कुरान रहेगा, तब तक अरब देश विश्व के सभ्य राष्ट्रों के बीच बैठने लायक न होंगे। इसी तरह एक इस्लामी विद्वान अनवर शेख का अभिमत है कि 'इस्लाम में गैर-मुसलमानों के प्रति नफरत और कत्ल का सिद्धान्त निहित है। यह कहना पूरी तरह झूठ है कि इस्लाम अर्न्तराष्ट्रीय भाईचारे का सन्देश वाहक है।' ख्यातनामा पत्रकार श्री अरूण शौरी ने अपने एक लेख में 'द हेराल्ड' समाचार पत्र का उद्धरण देते हुये लिखा है कि "जेहाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इस दुनियां में एक भी गैर-मुसलमान मौजूद है" अपने 'लज्ञा' उपन्यास द्वारा बंगला देश में इस्लामी जहनियत के शिकार हिन्दुओं की करूण-कथा को संसार भर में उजागर करने वाली **देवी तसलीमा नसरीन** का कहना है कि "सरकार द्वारा (बंगला) देश में इस्लाम को राष्ट्रीय मजहव घोषित किया गया है, इसलिये इस्लामी देश में रहने के लिए सबको मुसलमान बनना पड़ेगा।" क्या इस सबके बावजूद कुरान को एक मात्र ईश्वरीय किताब और हजरत मोहम्मद को ईश्वर का सबसे अन्तिम देवदूत मानने वाला मुसलमान संसार के अन्य धर्मों के प्रति निरपेक्ष और सहिष्णु हो सकता है? आज जब ५१ वर्ष पूर्व पाकिस्तान से लुट-पिट कर और अपनी बहिन-बेटियों को गंवाकर आने वाले किसी पूर्व पुरुषार्थी या उसका कोई परिवारीय अथवा महान खालसा पंथ का कोई अनुयायी हिंसा-प्रेमी मुसलमानों के अन्ध-समर्थक और सरपरस्त छद्म धर्म-निरपेक्षों की पिशाच-टोली में सम्मिलित होकर हिन्दू-हितो के विरुद्ध गरजता और बरसता है तो पाकिस्तान में मारे गये उसके स्वर्गस्थ पुरखों का हृदय हाहाकार तो अवश्यमेव करता ही है साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी हिन्दू और गुरु के सच्चे बन्दे का सिर भी लज्ञा और ग्लानि से झुक जाता है। आश्चर्य मत करियेगा, उन्हीं स्वर्गवासी पुरुषार्थी हिन्दुओं के कुछ कपूत, जिन्होंने भारत-विभाजन की त्रासदी स्वयं अपनी आंखों से देखी, भोगी और भुगती है, पाकिस्तान की स्थापना के राष्ट्रीय शोक और शर्म वाले काले दिन-१४ अगस्त-को वाघा सीमा पर मोमबत्तियां जलाकर अपने पुरखों के पाकिस्तानी हत्यारों और अपनी बहिन-बेटियों के अपहरणकर्त्ताओं का अभिनन्दन

करते हैं पर वो गैरतमन्द पाकिस्तानी कई बार उनके मुंह पर थूकने भी नहीं आते हैं। इसी तरह एक और नामी-गिरामी पुरुषार्थी हस्ती हैं जो चीन और पाकिस्तान जैसे घोर भारत-द्रोही तथा नालायक पड़ौसी देशों से 'जूते खाओ और उनके तलुये चाटो' जैसे कायर और पलायनवादी डाक्ट्रिन की खोज का सेहरा बांध कर छाती फुलाये देश-विदेश में ख्याति बटोर रहे हैं।

भारत द्वारा मई १९९८ में पोखरण में किये गये साहसिक अणुबम परीक्षण के विरुद्ध जितना हल्ला-गुल्ला पाकिस्तान ने नहीं मचाया उससे सैंकड़ों गुना ज्यादा विधवा-विलाप इस देश के गांधीवादी बिग्रेड के मायावी धर्म-निरपेक्षों ने किया और कराया है। भारतीय संसद में अणु-विस्फोट के विरुद्ध जब ये गांधी बिग्रेड छाती पीट-पीट कर आंसू बहा रही थी तब दूरदर्शन पर दिखाई जा रही संसदीय कार्यवाही देख रहे करोड़ों स्वाभिमानी भारतीयों को यह भ्रम होने लगता था कि सम्भवतः दूरदर्शन गलती से भारतीय संसद के स्थान पर पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही तो नहीं प्रसारित कर रहा है और भारतीय विस्फोट के विरुद्ध आग उगल रहे सांसद पाकिस्तानी नेता और सांसद तो नहीं हैं। **अरे जयचन्द की औलादों! शर्म करो और अपने परमप्रिय पाकिस्तान से सबक लो जहां सभी पार्टियों के सांसदों सहित पूरे देश ने इस्लामी अणु बम वनाने के लिये नवाज शरीफ सरकार को सिर आंखों पर उठा लिया** और एक तुम हो जो राष्ट्र के गौरवपूर्ण क्षणों में भी अल्पसंख्यकों के वोटों की झूंठन बटोरने के लिये देश में स्वाभिमान के जलते दिये बुझाते फिर रहे हो। जबकि केवल २४ वर्ष पूर्व जब भारत आज से कहीं ज्यादा गरीब और पिछड़ा था तथा पाकिस्तान १९७१ की अपनी शर्मनाक हार के सदमें से उबर भी नहीं पाया था, तुम्हीं लोग इसी पोखरण में किये अणु-विस्फोट के लिये भारतीय लोकतंत्र की भक्षक एक निरंकुश परिवारवादी प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करते हुये घर-घर खुशी के दिये जलाते घूम रहे थे।

इस देश में मकबूल फिदा हुसैन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पर गोडसे को फांसी के बाद भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्जित है। इस खूसट शैतान हुसैन को जगत्जननी सीता और वाग्देवी सरस्वती के नग्न चित्र प्रदर्शित करने की छूट है। **मौलाना अब्दुला बुखारी** को भारत के राष्ट्रीय पर्व-स्वतंत्रता दिवस को बहिष्कार करने का फतवा जारी करके देशद्रोह की खुली आजादी है पर गोडसे को फांसी देने के ५० वर्ष बाद भी उसके जीवन-दर्शन को भारत की उस पीढ़ी को देखने, सुनने और समझने का अधिकार नहीं है जिसने न भारत विभाजन की राष्ट्रीय त्रासदी देखी, न विभाजन के परिणामस्वरूप लाखों-करोड़ों निर्दोष हिन्दुओं का सामूहिक कत्ले आम देखा, न गांधी वध देखा और न गोडसे का ट्रायल और उसकी शहादत देखी। ओ! कांग्रेसियों और छद्म धर्म-निरपेक्षों! देश को जवाब दो कि **जब देश को बांटने वाले और करोड़ों हिन्दुओं के हत्यारे मोहम्मद अली जिन्ना को महिमा-मण्डित**

करने वाली फिल्म "जिन्ना—द मेकर ऑफ पाकिस्तान" को भारत के सिनेमा घरों में दिखाई जाने की तैयारी चल रही है, हत्यारी मुस्लिम लीग के नुमाइन्दे भारत में सांसद और मंत्री बन सकते हैं तो फिर राजनैतिक कारणों से केवल एक मानव-वध करने वाले, स्वेच्छा से अपने आपको कानून के हवाले करने वाले और मृत्यु दण्ड के विरुद्ध अपील न करके भगवद् गीता को हाथ में लेकर भारत माता की वन्दना करते हुये सरदार भगत सिंह और खुदीराम बोस की तरह सहर्ष फांसी का फन्दा चूमने वाले गोडसे के ऊपर बने नाटक 'मी गोडसे बोलतोय' का मंचन क्यों नहीं हो सकता है? अगर तुममे साहस है तो गोडसे और गांधी के दर्शन और कृत्यों पर अब उनकी मृत्यु के ५० वर्ष बाद खुली बहस होने दो और १९४७ के बाद जन्मी पीढ़ी को यह निर्णय करने की छूट दो कि दोनों में से कौन भारत-विभाजन और उससे उत्पन्न देश की वर्तमान दुरबस्था तथा भारत में सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते मुस्लिम आतंकवाद का जिम्मेदार है? गांधी भक्तों! गोडसे को फांसी देने के ५० साल बाद भी तुम उससे इतने भयग्रस्त क्यों हो? साहस के साथ सच्चाई का सामना करने से तुम क्यों इतना डरते हो? ८ नवम्बर १९४८ को अदालत में दिये उसके लिखित बयान में पूछे प्रश्न आज तक अनुत्तरित क्यों हैं? इस देश में जितना भृष्टाचार, अनाचार, कुशासन और ८५ प्रतिशत विशाल जनसंख्या वाले बहुसंख्यक हिन्दू समाज पर १२ प्रतिशत जनसंख्या के एक नगण्य धार्मिक समुदाय का बोट और समर्थन पाने के लिये जो-जो अन्याय और अत्याचार तुम्हारी कांग्रेस ने पिछले ८०-८५ वर्षों में निरन्तर किये और कराये हैं उसका शतांश भी यदि किसी और देश में किसी राजनैतिक दल ने किया होता तो वहां के बहुसंख्यक वर्ग ने बीसियों वर्ष पहले उसे इतिहास के पन्नों में दफन करके रख दिया होता पर हाय रे दुर्भाग्य! हिन्दू समाज की तन्द्रा न तब टूटी जब धर्म के नाम पर देश बंटा और हिन्दू कटा और न तब जब कश्मीर लूटा और उन्हीं लुटरों, हत्यारों को ५५ करोड़ रुपयों की बख्शीश देने के लिये देश को एक महात्मा ने बाध्य किया और न उस अभागे दिन आंखें खुली जब शाहबानो प्रकरण में स्वर्गीय राजीव गांधी ने अल्पसंख्यक वोटों की फसल काटने हेतु उसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का घोर निर्लज्जता के साथ गला घोंट दिया जिसकी दुहाई देकर अयोध्या के निर्मम ऐतिहासिक सत्य और प्रामाणिक पुरातात्विक तथ्यों को नकारने का घृणित प्रयास गत १५/२० वर्षों से किया और कराया जा रहा है। याद रखो, इतिहास बड़ा निर्मम, नीर-क्षीर विवेकी और सत्यान्वेषी है। वह एक न एक दिन सत्य का उद्घाटन करके रहेगा। तब इतिहास तुम सबको कठघरे में खड़ा करके पूछेगा कि मात्र एक मनुष्य का वध करने वाला गोडसे फांसी के बाद भी घृणित है तो लाखों-करोड़ों लोगों के हत्यारे मुस्लिम लीगियों के साथ गलबहियां डालकर सत्ता-सुख भोगना क्यों घृणित नहीं है? पराधीन भारत में वन्देमातरम् को राष्ट्रगान का सम्मान प्राप्त था पर स्वाधीन

भारत में एक धार्मिक समुदाय की तृष्टि के लिये उसे राष्ट्रगान के सम्मान से वंचित करना क्यों घृणित और अनैतिक नहीं है? मुसलमान देश तोड़कर और हिन्दुओं को मार और खदेड़कर पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाये तो तुम्हें कोई गम नहीं हुआ पर हिन्दू बचे-खुचे देश को स्वाभाविक रूप से "हिन्दू राष्ट्र" कहना चाहें तो यह तुम्हारी नजर में अनर्थ का पर्याय क्यों बन गया? दिल्ली में तुम्हारे सत्ता में रहते कश्मीर में सालो-साल हिन्दू विस्थापित होते रहे, कटते और मरते रहे पर तुम गांधारी की तरह धारा ३७० की पट्टी आंखों पर बांधकर हत्यारों को मुर्ग-मुस्सलम खिलाते रहे, उन पर देश का अरबो-खरबों रुपया क्यों लुटाते रहे? अविभाजित भारत के मुट्ठीभर कांग्रेसी मुस्लिम "शोपीसों" (मोहम्मदअली जिन्ना के द्वारा दिया गया नामकरण) को छोड़कर सम्पूर्ण ८ करोड़ मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के नेतृत्व में एक जुट होकर पाकिस्तान की मांग का प्रबल समर्थन करते हुये खून की नदियां बहाई थीं पर तुमने वीर सावरकर, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉ० भीमराव अम्बेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं की आबादी की पूर्ण अदला-बदली की सलाह और चेतावनियों को मुस्लिम वोटों की खातिर ठुकरा कर उन्हीं ८ करोड़ में से ढ़ाई करोड़ देश तोड़कों को विभाजन के महापाप से मुक्ति प्रदान कर दामादों की तरह विशेषाधिकार पर विशेषाधिकार देकर क्षत-विक्षत भारत मां की छाती पर मूंग दलने और १४०० वर्ष पुरानी "हिन्दू-मुस्लिम" समस्या को ज्यों का त्यों क्यों जिन्दा रखा? हिन्दू के लिये अलग कानून और मुसलमानों के लिये अलग कानून की वकालत, मुसलमानों को हज यात्राओं के लिये कई सौ करोड़ रुपयों का वार्षिक अनुदान, इमामों-मौलवियों को सरकारी खजाने से वेतन देने का जी तोड़ प्रयास, समान सिविल कोड का प्रबल विरोध क्या धर्म आधारित यह दोहरे मापदण्ड, तुम्हारी धर्म-निरपेक्षता के ढोंग की धज्जियां नहीं बिखेरते हैं? तुम इतिहास के कितनों प्रश्नों का उत्तर दोगे? तुम्हारे दुष्कर्मों और हिन्दुओं की उपेक्षा-उत्पीड़न तथा मुस्लिमों के अंध तुष्टीकरण की पाप-तालिका अनन्त है। तुम्हारे पास किसी प्रश्न का तार्किक उत्तर नहीं है। पिछले लगभग १०० वर्षों का तुम्हारा हिन्दू-विरोधी आचरण और इतिहास इतना गर्हित और अपराधी है कि प्रत्येक प्रश्न पर तुम्हें एक बार नहीं यदि सौ बार सूली पर लटकाया जाये तो भी यह सजा कम पड़ेगी।

यदि आपको अपनी मातृभूमि से प्यार है और आप देश की वर्तमान दुरवस्था से व्यथित हैं तथा आप उस स्वनामधन्य नेता से रू-ब-रू होना चाहते हैं जिनकी अदूरदर्शी मुस्लिम तुष्टीकरण की रीति-नीति के फलस्वरूप भारत की छाती पर पाकिस्तानी नासूर का जन्म हुआ तो इस पुस्तक के माध्यम से हुतात्मा

नथूराम गोडसे की आवाज अवश्य सुनें जिससे फिर कभी कोई इस अभागे राष्ट्र न पुनः छल सके और न तोड़ सके चाहें वो कितना ही बड़ा नायक, नेता या महात्मा हो।

अखण्ड भारत अमर रहे।

वन्देमातरम्

विनीत

जगदीश बल्लभ गोस्वामी

आगरा (उत्तरप्रदेश)

१५ अगस्त १९९८

(स्वतंत्रता दिवस के साथ-साथ भारत विभाजन के महापाप की ५१वीं वर्षगांठ तिथि)

●●●

सोचो समझो जागो!

१ आज देश में जो लीडर हैं, चाहे या किसी भी दल या वर्ग के हैं, वास्तव में जनता के वोटों द्वारा कुर्सी पर कब्जा करके पूरे पांच साल तक जनता का खून चूसते हैं। चुनाव में जीतने के बाद, नेता से शासक बनकर जनता को बेझिझक पुलिस व गुंडों द्वारा डराते रहते हैं और अपना घर भरते रहते हैं।

२. आजादी (जो कि वास्तव में देश का विभाजन है) के ५१ वर्ष बाद भी जनता को भूखा-नंगा-अनपढ़ रखकर भाषा, प्रांत, धर्म व जात-पात के नाम से आपस में लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं।

३. कन्ट्रोल, कोटा, परमिट, लाईसैंस, राशन, बिक्री कर, उत्पादन कर, लेबर एक्ट, राष्ट्रीयकरण जैसी गैर जरूरी नीतियों द्वारा सारे देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में झोंक रखा है, देश में कोई भी ईमानदार न रहे और इनकी गद्दी न हिले, यही इन मौका परस्त नेताओं की चाल है।

४. सरकारी पाबन्दियों के कारण हर आवश्यक वस्तु को लाईन में घंटों खड़े होकर प्राप्त करने को अनुशासन का नाम देकर हर आदमी को गुलाम बनाने की इनकी बहुत बड़ी योजना है—

समाजवाद की दुहाई देने वाले क्या कभी किसी नेता ने भी अपना राशन, दूध या मिट्टी का तेल लाईन में खड़े होकर लिया है या लेता है?

सोचो-समझो-जागो साजिश के खिलाफ आवाज उठाओ।

नहीं तो, न देश रहेगा न धर्म, न समाज व ईमान हम सब पालतू पशु बन जायेंगे, रुसियों व चीनियों की तरह।

विकल्प प्रकाशन ३३१४, बैंक स्ट्रीट, करोलबाग द्वारा प्रचारित

उन्होंने भारत विभाजन के विरोध में फांसी का फंदा चूमा था

वह १५ नवम्बर सन् १९४९ की एक हल्की सर्द सुबह थी। समय प्रातः के ८ बजे रहे थे और सूरज की कोमल किरणें धीरे-धीरे अम्बाला सेण्ट्रल जेल की ऊँची-ऊँची दीवारों पर फैलने लगी थीं।

उस जेल में फाँसी की सजा पाने वालों के लिए ९×५ फुट की ४ काल कोठरियां एक कतार में बनी थीं जिनमें से एक कालकोठरी में दो मृत्युदण्ड प्राप्त बन्दियों ने कॉफी के तथा उनके पास बैठे ३ अन्य आजन्म कारावास की सजा पाए बन्दियों ने, जिनमें से एक मृत्युदण्ड प्राप्त बन्दी का सगा छोटा भाई था, चाय के प्याले पीकर खत्म किये। कुछ दूरी पर आरक्षीगण फांसी पर चढ़ने वाले दोनों बन्दियों को पहिनाए जाने वाले काले कपड़े लिए खड़े दिखाई दे रहे थे। उन पांचों बन्दियों में से कोई भी शोकाकुल नहीं था बल्कि दोनों मृत्युदण्ड प्राप्त बन्दी उन तीन आजन्म कैदियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही प्रसन्न लग रहे थे। आजन्म कैदियों ने फांसी पर चढ़ने वाले अपने दोनों साथियों से अन्तिम विदा ली और उसी कारागार में कुछ दूरी पर बनीं अपनी कोठरियों में वापिस लौट गए।

उनके जाने के बाद दोनों मृत्युदण्ड प्राप्त बन्दियों ने जिनमें से एक की आयु ३९ वर्ष और दूसरे की ३८ वर्ष थी, अपने माता-पिता के चित्रों की पूजा की क्योंकि सरकार ने उनमें से आयु में वरिष्ठ मुख्य हत्याभियुक्त को उसके वृद्ध और मरणासन्न माता-पिता के अन्तिम दर्शन करने की सुविधा देने से भी निष्ठुरतापूर्वक इन्कार कर दिया था। सरकार के इस निर्मम व्यवहार से उस मातृ-पितृ भक्त बन्दी युवक को कितनी मार्मिक पीड़ा हुई थी, उसकी एक झलक पाठकों को माता-पिता के नाम लिखे उसके अन्तिम पत्र (परिशिष्ट-१) से भलीभांति प्रगट हो जायेगी।

अपनी काल कोठरी से फांसी घर के लिये चलने से पूर्व उन दोनों बन्दियों ने अत्यन्त श्रद्धा के साथ अपने हाथों में अखण्ड भारत का मानचित्र, परम पवित्र भगवा ध्वज और श्री भगतव्गीता की प्रति ली और वीरोचित भाव से मृत्यु का वरण करने के लिए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ गए।

काल कोठरी से बाहर आते ही उनको सूर्य की किरणें दृष्टिगोचर हुईं। सूर्य का प्रकाश उन दोनों को बहुत भाया। उनमें से एक दूसरे से बोला "पण्डित! सूर्य की

किरणें कितनी कोमल हैं।" दूसरे ने जवाब दिया "शिमला में तो लगभग सदैव ही ऐसा आह्लादकारी दृश्य रहता है।"

फांसी के तख्ते पर काले कपड़े पहिने दोनों बन्दियों ने 'अखण्ड भारत अमर रहे' और 'वन्देमातरम्' का उद्घोष करके संस्कृत में रचित मातृभूमि की वन्दना की जिसके स्वर अभी फांसीघर के वायुमण्डल में गूंज ही रहे थे कि जल्लाद ने फांसी का फन्दा खींच दिया और देखते ही देखते मातृभूमि के दो वीर सपूतों ने अपने प्राण-पुष्प खण्डित भारत मां के चरणों में अर्पित कर दिए।

मृत्युदण्ड पाए दोनों बन्दियों में से आयु में वरिष्ठ बन्दी पर आरोप था कि उसने भारत के एक बड़े राजनैतिक नेता को अपनी पिस्तौल द्वारा ३ गोली चलाकर उसका वध किया था तथा दूसरे बन्दी को इस हत्याकाण्ड के सूत्रधार होने के आरोप में मृत्यु दण्ड दिया गया था यद्यपि उसने न तो हत्याभियुक्त के साथ गोली चलाई थी और न वह हत्यावाले दिन हत्या स्थल से पकड़ा गया था। उच्च न्यायालय ने भी इस बन्दी की फांसी की सजा में नरमी बरतने के लिए सरकार से अनुशंसा की थी पर इसके बावजूद भी उसे हत्याभियुक्त के साथ फांसी पर लटका दिया गया। फांसी से एक दिन पूर्व जब इस बन्दी की पत्नी जेल में उसके अन्तिम दर्शन करने आई थी तब उसने उससे कहा था "तुम मेरी फांसी के बाद भी मंगल सूत्र अवश्य पहनना और कुमकुम लगाना क्योंकि अमरता को प्राप्त व्यक्ति की पत्नी कभी भी विधवा नहीं हो सकती है।" और मुख्य हत्याभियुक्त ने तो विवाह ही नहीं किया था। क्योंकि उसने तो तरुणाई में ही उस क्रान्ति-सूर्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के श्री चरणों में आत्मोत्सर्ग का वीर-व्रत ले लिया था जिन्हें ब्रिटिश शासकों द्वारा एक नहीं दो बार आजन्म कारावास का दण्ड देकर पूरे ५० वर्ष की सजा भुगतने के लिए काला पानी (सेलूलर जेल अण्डमान) भेजा था।

जिस बन्दी ने गोली मारकर वध किया था वह यदि चाहता तो वध के उपरान्त मचे कोलाहल और अफरातफरी में बड़ी आसानी से भाग सकता था। परन्तु वह भागा नहीं बल्कि एक के बाद एक तीन गोलियां चलाने के उपरान्त उसने अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया और पुलिस-पुलिस चिल्लाने लगा। कोई आधा मिनट बीतने पर भी कोई उसके पास फटकने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने भरी पिस्तौल वाला हाथ इसलिए ऊपर उठा रखा था ताकि भूल से भी किसी और को आघात न लगे और इसी अवस्था में वह पुलिस द्वारा पकड़े जाने की प्रतीक्षा करता रहा। एक उत्तेजित व्यक्ति ने उसकी पिस्तौल को उसके सामने करते हुये उससे कहा था "मैं तुम्हें इसी पिस्तौल से मार डालूंगा।" इस पर उसने बड़े शान्त और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया "बड़ी खुशी से, किन्तु पिस्तौल छूने का

ज्ञान तुम्हें प्रतीत नहीं होता। उसका सेफ्टी कैच खुला है। तनिक सा धक्का लग जाने पर भी तुम्हारे हाथ से दूसरा कोई मर जायेगा।" फिर उसने पास खड़े पुलिस अधिकारी से कहा, "पहले तुम वह पिस्तौल अपने कब्जे में ले लो उसका सेफ्टी कैच खुला ही रह गया है। उसे बन्द करो अन्यथा यह भला मानुष मेरे बजाय किसी और को मार बैठेगा।" सम्भवतः भारत के इतिहास में शहीदेआजम सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के बाद यह दूसरा ऐतिहासिक अवसर था जब राजनैतिक कारणों से अपराध कर्म करने वाले ने घटनास्थल से अफरा-तफरी के माहौल का लाभ उठाकर भागने की बजाय स्वयं को स्वेच्छापूर्वक कानून के हवाले कर दिया ताकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वह अपने कृत्य के औचित्य से सारी दुनिया को अवगत करा सके। हत्या के बहुत दिन बाद हत्याभियुक्त से किसी ने जेल में पूछा था कि जब उसकी पिस्तौल में कई और गोलियां बची थीं तब उसने उसमें से एक गोली द्वारा स्वयं अपने आपको क्यों नहीं खत्म कर लिया था? तब उसने बताया था कि मैं दुनिया को अपने कृत्य का औचित्य बताने के लिये जिन्दा रहना चाहता था क्योंकि अगर मैंने तभी अपने को खत्म कर लिया होता तो आज दुनिया को मेरे इस कृत्य का औचित्य बताने वाला कोई नहीं रहता।

"जिनकी हत्या करने पर आपको विलक्षण अभिमान का अनुभव होता होगा, प्रस्तुत पत्र का लेखक उन्हीं का पुत्र है।" इस परिचय के साथ हत्याभियुक्त को जेल में मृत नेता के पुत्र का एक पत्र प्राप्त हुआ था। उस पत्र के उत्तर में बन्दी ने उन्हें लिखा था। "मुझे आपसे अनुरोध करना है कि आप मुझसे मिलें यथा सम्भव अपने पिताजी के किन्हीं प्रमुख शिष्यों के साथ मिलें। विशेषकर ऐसा शिष्य राजसत्ता से निर्लिप्त होना चाहिये। उस भेंट में आप मुझे मेरी भ्रान्ति दिखा दीजिए अन्यथा दया का यह प्रदर्शन और कुछ न होकर धूल झोंकना मात्र है, ऐसा मुझे सदा लगेगा। यदि आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलें और मेरे साथ आपका विचार विनिमय हो, चाहे वह भावनात्मक स्तर पर हो अथवा शास्त्र सम्मत विवाद के स्तर पर तो कौन कह सकता है कि आप मेरे विचारों में परिर्वन करा लेंगे और मुझमें पश्चात्ताप जाग्रत कर सकेंगे अथवा मैं ही आपका मत-परिवर्तन करा लूंगा और अपनी भूमिका का औचित्य आपसे मनवा लूंगा। आपको केवल सत्यतापूर्वक बोलना होगा, केवल यही एक शर्त हमारे सम्भाषण के लिए होनी चाहिए।" इतिहास साक्षी है कि देश की सर्वोच्च शासन सत्ता का पूरा आदर और संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद उस मृत नेता का वह पत्र लेखक पुत्र हत्याभियुक्त बन्दी की चुनौती स्वीकार कर उससे सम्भाषण करने का साहस न जुटा सका और वह हत्याभियुक्त बन्दी इस साध को अपने सीने से लगाए अन्ततः १५ नवम्बर १९४९

को अपने कृत्य पर विलक्षण अभिमान लिए फांसी के फन्दे पर झूल गया।

इस हत्याभियुक्त बन्दी ने मुकदमें के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों से प्रति परीक्षण न स्वयं किया और न अपने वकील को करने दिया क्योंकि उसका कहना था कि "जब मुझे कोई बहाना खोजना ही नहीं है तो इस प्रति परीक्षण का प्रपंच क्यों? उनका साक्ष्य तर्क सम्मत है या नहीं यह देखना अभियोजन का काम है।" उसने हत्या का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वेच्छापूर्वक स्वयं अपने ऊपर ले लिया था।

न्यायालय ने जब मृत्युदण्ड सुना दिया तब मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दी ने न्यायालय को आदर प्रदान करते हुए उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उनका कहना था कि न्यायालय ने किसी द्वेषभाव से प्रेरित होकर मृत्युदण्ड नहीं दिया है। यह न्यायालय स्वतन्त्र भारत का न्यायालय है। उसने उच्च न्यायालय में अपील तो की पर घोर आश्चर्य कि वह अपील उसे दिए गये मृत्युदण्ड के विरुद्ध नहीं थी। मृत्युदण्ड के विरुद्ध उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने जो अपील की थी वह हत्या के लिए षड्यन्त्र रचा गया यह आरोप लगाकर जिन ६ अन्य व्यक्तियों को उसके साथ मृत्युदण्ड से लेकर आजन्म कारावास की सजाएं दी गई थीं वह उसके विरुद्ध थी जिसकी पैरवी भी स्वयं उसने उच्च न्यायालय के समक्ष की थी। जिस प्रखरता और विद्वता के साथ उसने षड्यन्त्र के आरोप में दण्डित अन्य लोगों के पक्ष में बहस की उसकी प्रशंसा करने का लोभ उच्च न्यायालय के वे न्यायमूर्ति भी संवरण नहीं कर सके जो उस अपील की सुनवाई कर रहे थे। उन्हों अपने निर्णय में लिखाः- "समस्त अपील कर्ताओं में से उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अन्तर्गत........ की हत्या के अपराध में दी गई सजा को न चुनौती दी और न ही इस अपराध में उसे दिए गए मृत्युदण्ड के विरुद्ध अपील की थी। उसने अपनी अपील और अपनी बहस को उन अलग अभियोगों तक ही सीमित रखा जो उसके विरुद्ध सिद्ध हो चुके थे। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उसके द्वारा की गई बहस व्यक्तिगत रूप से इतनी उत्कृष्ट और तथ्यपरक थी कि यदि ऐसी बहस किसी अन्य वकील ने की होती तो वह उसे निश्चय ही यश का भागी बना देती।"

उच्च न्यायालय द्वारा इन अपीलों की सुनवाई जिस नगर में हो रही थी वह इस देश का न सिर्फ एक विख्यात हिल स्टेशन था वरन् अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण भारत के धनाढ्य और आभिजात्यवर्गीय लोगों के नगर के नाम से तब भी जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में विख्यात मौलाना अबुलकलाम आजाद के संस्मरणों पर आधारित पुस्तक में उस नगर के निवासियों विशेषतः महिलाओं के बीच वह

हत्याभियुक्त बन्दी कितना सम्मानित और लोकप्रिय बन गया था इसका उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि अपील की सुनवाई के दौरान उस नगर की संभ्रान्त परिवारों की कतिपय महिलाओं ने हत्याभियुक्त को अपने हाथ से ऊनी स्वेटर बुन-बुनकर भेंट स्वरूप भेजे थे।

उच्च न्यायालय की इस पीठ के एक न्यायमूर्ति जिनका विधि जगत में एक विशिष्ट स्थान और नाम रहा है, ने इस ऐतिहासिक मुकदमें के ऊपर १५ वर्ष पश्चात् एक पुस्तक लिखी थी। हत्याभियुक्त बन्दी ने इस पीठ के सम्मुख जो अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था वह कितना भावपूर्ण और प्रभावोत्पादक था उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है—

"प्रेक्षकों से भरे हुए न्यायालय में कितना भावावेश था इसका आभास कभी जन समुदाय के उच्छ्वास अथवा सिसकियों से मिलता रहता था। उनके अश्रुपूरित नेत्र अथवा झरते हुए अश्रु भी दिखाई देते थे। यदि न्यायालय में समुपस्थित उन सभी प्रेक्षकों से कहा ज़ाता कि वे उस अभियोग में न्यायदान का कार्य करें तो मुझ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि........ निर्दोष है, यह निर्णय प्रचण्ड बहुमत से दिया जाता।"

इसीलिए तीन गोली चलाकर देश के एक बड़े राजनैतिक नेता का वध करने वाले फांसी की सजा प्राप्त बन्दी का १५० पैराग्राफ वाला वह लिखित मार्मिक और ओजपूर्ण बयान (परिशिष्ट-२) जिसमें उसने एक स्थान पर कहा था कि **"यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आपको उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर अगर कोई न्यायालय है, तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जावेगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया।"** स्वतंत्र भारत की प्रथम कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया था क्योंकि तत्कालीन कांग्रेसी शासकों को भय था कि यदि उसका सन्देश इस देश के ३२ करोड़ आक्रोशित, उद्वेलित, अपमानित भारत विभाजन की पराजय से अवाक और हताश तथा लुट-पिटे हिन्दुओं तक पहुंच गया, जिन्हें शासनारूढ़ कांग्रेस के मृत मसीहा ने लगभग ३ दशक के लम्बे काल खण्ड में "हिन्दू-मुस्लिम एकता" के एक ऐसे 'यूटोपिया' में उलझाए रखा जो न केवल मृग-मरीचिका सिद्ध हुआ वरन् भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों-करोड़ों हिन्दुओं की अन्ततः नृशंस हत्या और विनाश का कारण भी बना, तो इस देश में एक ऐसा राजनैतिक जलज़ला आ जाएगा जो उनके तख्त और ताज दोनों को ले डूबेगा। वह हत्याभियुक्त कोई साधारण पुरुष नहीं एक अलौकिक आत्मा और महान् भविष्य-दृष्टा था जिसके

दिव्य—चक्षु इस अभागे देश की भावी नियति को उसी प्रकार देख रहे थे मानो भविष्य में घटित होने वाली सारी दुःखद राजनैतिक घटनाएं उसकी आंखों के सामने घट रही हों। उसने ८ नवम्बर १९४८ को दिए अपने ऐतिहासिक बयान में कई सटीक भविष्यवाणियां करते हुए कहा था कि "गांधी जी की मृत्यु भी उनकी (कांग्रेस की) स्वार्थसिद्धि के उपयोग में लाई जा सकती है।" जो कांग्रेस के पिछले ५० वर्षों के कृत्यों और आचरण के सन्दर्भ में अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। इसी प्रकार यह भी भविष्यवाणी की थी कि "साम्प्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक न होगा" और "जब तक पाकिस्तान में धर्मान्ध मुस्लिम राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती।" पिछले ५० वर्षों के पाकिस्तान के घोर द्वेषपूर्ण आचरण, १९४७, १९६५ और १९७१ में हुये तीन भीषण युद्ध, पंजाब और काश्मीर में पाकिस्तान की इण्टर सर्विसेज इण्टेलीजेन्स (आई.एस.आई.) द्वारा प्रायोजित आतंकवाद तथा भारत के सिर पर अहर्निश मंडराते पाकिस्तान से चौथे और अन्तिम निर्णायक एटोमिक युद्ध के बादल इस बात के पक्के सबूत हैं कि वाकई वह बन्दी दिव्य दृष्टि सम्पन्न एक महापुरुष था जिसने भारत की छाती पर विभाजन से उत्पन्न होने वाले पाकिस्तानी नासूर के दुष्परिणामों से राष्ट्र को आज से लगभग ५० वर्ष पूर्व ही आगाह कर दिया था।

सम्भवतः इतना सब पढ़ने के बाद आपका मन फांसी का फन्दा चूमने वाले उन दोनों निर्भीक युवकों और उनकी गोली से मरने वाले ख्याति प्राप्त नेता का परिचय जानने के लिए अवश्य व्यग्र हो उठा होगा।

तो जानिए, १५ नवम्बर १९४९ की उस सर्द सुबह ८ बजे अम्बाला सैन्ट्रल जेल के फांसी घर में श्री भगवत्गीता और परम पवित्र भगवा ध्वज को हाथों में लिए तथा अविभाजित भारत के मानचित्र को छाती से लगाए भारत मां के जिन दो वीर सपूतों ने 'वन्देमातरम्' और 'अखण्ड भारत अमर रहे' के उद्घोष के साथ मातृभूमि की वंदना करते हुए सहर्ष फांसी का फन्दा चूमा था वो और कोई नहीं पेशे से पत्रकार और मराठी दैनिक 'अग्रणी' तथा 'हिन्दू राष्ट्र' के यशस्वी सम्पादक हुतात्मा पं० नथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आपटे थे और जिस बड़े नेता को उनकी गोली का शिकार होनापड़ा था वह श्री मोहनदास कर्मचन्द गांधी थे जिनकी रहनुमाई में इस देश के हतभाग्य हिन्दुओं का राजनीति की चौसर के दूसरे सिरे पर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बैठी मुस्लिम लीग के हाथों एक के बाद एक बाजियां हारते हुए अन्ततः न केवल मातृभूमि का विभाजन स्वीकार करना पड़ा था बल्कि भारत भूमि से कटे "पाकिस्तान" नाम विशाल भूभाग में करोड़ों हिन्दुओं के क्रूर नरसंहार (जिनोसाइड) और पलायन का मूकदृष्टा बनने का

भी दुर्भाग्य भोगना पड़ा था। लेकिन ५० वर्ष पूर्व कांग्रेस द्वारा येन-केन-प्रकारेण शासन सत्ता झपटने के प्रयास में बिना सोचे-समझे जल्दी में किया गया यह पूर्णतया इकतरफा घाटे का सौदा क्या इस हतभाग्य देश और इस देश को मातृभूमि के रूप में पूजने वाले सर्वधर्म समभावी हिन्दुओं की नियति बदल सका? और क्या इस देश का एक तिहाई भाग देकर और करोड़ों हिन्दुओं की नरबलि के बाद भी हिन्दुस्तान में आज तक इस्लामिक जिहाद रूक पाया? कदापि नहीं! कदापि नहीं!! कदापि नहीं!!!

१९४७ में कांग्रेस ने देश का विभाजन मुस्लिम लीग के हिन्दू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जो साथ-साथ नहीं रह सकते इस सिद्धान्त के आगे नतमस्तक होकर 'सौ जूते भी खाए और प्याज भी खाई' इस लोकोक्ति को अक्षरशः चरितार्थ करते हुए स्वीकार किया था। तब भारतीय उपमहाद्वीप के ३२ करोड़ भोले भाले हिन्दुओं ने भी कांग्रेस के छलावे में आकर इस दुराशा में भारतमाता के अंग-भंग को आहत मन और पराजित मुद्रा में इसलिए स्वीकार कर लिया था कि चलो सैंकड़ों वर्षों से अनवरत चली आ रही मुस्लिम बर्बरता, आतंक, अत्याचार अनाचार और उनकी धार्मिक कट्टरता तथा विद्वेषपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप रोज व रोज होने वाले साम्प्रदायिक दंगों में शान्तिप्रिय और अहिंसक हिन्दुओं के सामूहिक विनाश से सदा-सदा के लिए छुटकारा मिल जावेगा। परन्तु २० प्रतिशत मुसलमानों को देश का ३३ प्रतिशत हिस्सा देकर और ५० लाख हिन्दुओं के नरसंहार तथा करोड़ों हिन्दुओं के विस्थापित होकर भारत में शरण लेने के बावजूद कांग्रेस द्वारा गांधी जी की इच्छानुसार आबादी की अदला-बदली से इन्कार करने के कारण हिन्दुओं को सिवाय घोर निराशा के कुछ हाथ नहीं लगा। जितनी बड़ी संख्या और बड़े पैमाने पर अब भारत में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, उतने बंटवारे से पहिले नहीं होते थे। जितनी बड़ी मात्रा में मुसलमानों द्वारा सुनियोजित और खुल्लमखुल्ला गोहत्या आज भारत में हो रही है, उतनी बंटवारे से पहले नहीं होती थी। जितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बंटवारे के बाद भारत में बढ़ी है उतनी पहले कभी नहीं बढ़ी थी। मुसलमान बम्बई जैसे बम काण्ड तथा रेलों और बसों में तब बम विस्फोट करने की जुर्रत नहीं करते थे। भारत के हर कस्बे, नगर और महानगरों में जितने संवदेनशील क्षेत्र बनाकर नपुंसक छद्म धर्म-निरपेक्ष शासकों ने उन क्षेत्रों में हिन्दुओं की धार्मिक शोभायात्राओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया है उतने संवेदनशील क्षेत्र तो बंटवारे से पहले पूरे अखण्ड भारत में भी नहीं थे। १९४७ में तो केवल एक पाकिस्तान बना था पर आज हिन्दुओं के हिस्से में आए हिन्दुस्तान में हजारों मिनी

पाकिस्तान बन चुके हैं और एक जिन्ना के स्थान पर धर्म-निरपेक्षता का मुखौटा लगाकर सैंकड़ों हिन्दू नामधारी जिन्ना मुसलमानों का नेतृत्व और समर्थन पाने के लिए जिन्ना से भी बढ़-चढ़कर हिन्दुओं के विरुद्ध विषवमन करने की होड़ में लगे हैं। जितनी आक्रामकता, धार्मिक कट्टरता, विद्वेष, असहनशीलता, दबंगई, सीनाजोरी, लडाकूपन और निर्भयता से आज मुस्लिम समाज भारत में हिन्दुओं से लड़ने मरने को आमादा रहता है उतना जोशो-खरोश तो उनमें तब भी नहीं था जब भारत एक था जबकि आज भारत में मुसलमानों को जितनी सुरक्षा, तरजीह और विशेषाधिकार प्राप्त है उतने तो उन्हें न अविभाजित भारत में प्राप्त थे और न उनके बनाये इस्लामी जन्नत पाकिस्तान में उन्हें प्राप्त हैं। वस्तुतः देश के बंटवारे में हिन्दुओं को न खुदा मिला और न विसाले सनम। बेचारा हिन्दू न इधर का रहा और न उधर का रहा। पाकिस्तान में हिन्दुओं को जहां मौत का ठण्डा आगोश मिला वहीं हिन्दुस्तान में छद्म धर्म-निरपेक्षता के धूर्त ठेकेदारों ने हिन्दुओं को मुसलमानों के मुकाबले दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर अपने ही देश में न सिर्फ शरणार्थी बना डाला बल्कि असम, बंगाल और बिहार के विशाल के भूभाग में बंगाल देशीय मुस्लिम मेहमानों को कई करोड़ की संख्या में बुला और बसा कर हिन्दुओं को उन प्रदेशों में पुनः अल्पसंख्यक तक बना डाला है। तीन-तीन युद्धों में पराजित होने के बाद भी बंटवारे की नाजायज औलाद और इस्लामी शैतान पाकिस्तान मोहम्मद गौरी की तर्ज पर भारत से चौथे युद्ध के लिए सीमाओं पर गरज रहा है। भारत विभाजन से उत्पन्न ऐसी विषम परिस्थितियों में बंटवारे की ५०वी सालगिरह के वर्ष में विभाजन की जनक और जिम्मेदार कांग्रेस से भारत विभाजन के औचित्य और इसकी सार्थकता के साथ-साथ भारत में हिन्दुओं के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार की कैफियत तलब करने का हिन्दुओं को इससे अधिक उपयुक्त अवसर अब कौन सा आएगा? इस देश के हिन्दुओं ने भारत विभाजन के रूप में जितना मूल्य चुकाया है, उतना संसार की किसी कौम ने न कभी चुकाया है और न कभी चुकाएगी पर इसके बदले में हिन्दुओं के हिस्से में आए हिन्दुस्तान में भी यदि हिन्दुओं के नसीब में अब भी शान्ति और सुरक्षा के साथ अपने देश भारत में रहना नहीं बदा है और उन्हें मुस्लिम आतंक के साये में हिन्दुस्तान की सरजमीं पर भी जीना है तो बेहतर होगा कि या तो भारत का ५१ वर्ष पूर्व किया गया कृत्रिम विभाजन रद्द कर एक बार पुनः पानीपत के मैदान में अन्तिम और निर्णायक युद्ध लड़ लिया जाये या आबादी की पूर्ण अदला-बदली हो जाये अन्यथा कांग्रेस द्वारा छले गये और अल्पसंख्यकवाद की चक्की में पिछले ५०

वर्षों से पिसते उत्पीड़ित हिन्दुओं के क्रोध और प्रतिकार का दावानल अब फूंटने ही वाला है जिसकी लपटों में मुस्लिम वोटों के सौदागरों के साथ-साथ पाकिस्तान और बंगला देश जैसे हिन्दू-उत्पीड़क देशों का भी वजूद नहीं बचेगा इसे छदम् धर्म-निरपेक्षता के मसीहा और मुस्लिम तुष्टिकरण के भारतीय अलमबरदार जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है।

फांसी से पूर्व स्वर्गीय नथूराम विनायक गोडसे ने एक मृत्यु पत्र (परिशिष्ट-३) भी लिख कर छोड़ा था। जब आप यह जानेंगे कि उसमें हुतात्मा नथूराम गोडसे ने क्या अन्तिम इच्छा प्रगट की है तो हर सच्चे भारतीय का मन स्वाभिमान और हृदय वीरोचित भावना से पुलकित हो उठेगा। उस वीर-व्रती की अन्तिम इच्छा उसी के शब्दों में पढ़िये **"अपने भारतवर्ष की सीमारेखा सिन्धु नदी है। जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वह सिन्धु नदी जिस शुभ दिन फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहें उस दिन मेरी अस्थियों का कुछ हिस्सा उस सिन्धु नदी में बहा दिया जाए!** यह मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिये शायद और भी एक दो पीढ़ी का समय लग जाये तो भी चिन्ता नहीं। उस दिन तक मेरा अवशेष वैसा ही रक्खो और आपके जीवन में वह शुभ दिन न आए तो आपके वारिसों को ये मेरी अन्तिम इच्छा बतलाते जाना।" पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि फांसी से मात्र ४५ मिनिट पूर्व स्व. नथूराम गोडसे ने अपने छोटे भाई श्री दत्तात्रेय विनायक गोडसे को सोमनाथ मन्दिर के पुनुरुद्धार अभियान के पुण्य कार्य में १०१ रुपए भेजने का लिखित निर्देश देकर ही फांसी घर के लिए प्रस्थान किया था। धन्य है उस हुतात्मा को जो फांसी से मात्र ४५ मिनिट पूर्व तक अपने और अपने संकटग्रस्त परिवार के लिये नहीं बल्कि भगवान सोमनाथ के उस मन्दिर के पुनरुद्धार के बारे में चिन्ताग्रस्त था जिसे विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सदियों पहले विध्वन्स करके हिन्दू पौरुष को ललकारा था और एक आज के हिन्दू नामधारी मायावी धर्म-निरपेक्ष गांधीवादी हैं जो बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा खण्डित अयोध्या स्थित श्री राममन्दिर के पुनरुद्धार में घोर निर्लज्जता के साथ हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करने के साथ-साथ काशी तथा मथुरा के खंडित हिन्दू धर्म-स्थलों पर खड़े इस्लामी विध्वंस और बर्वरता के जीते-जागते तथा चीखते सबूतों के बारे में हिन्दूओं के जबान खोलने पर औरंगजेब को भी लजाने वाले प्रतिबन्ध लगाये बैठे हैं।

भारत मां के उन दोनों वीर सपूतों के भस्मी कलश आज भी पूना में स्व० नथूराम गोडसे के कनिष्ठ भ्राता श्री गोपाल गोडसे, जिन्हें १७ वर्ष के आजन्म

कारावास के बाद १३-१०-१९६४ को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मुक्त किया गया था, के घर उस गौरवपूर्ण दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जैसा भारत मां का कोई दूसरा वीर सपूत भारत की अपराजेय वीर-वाहिनी को इस्लामाबाद कूच करने का आदेश देकर और पाकिस्तान का नामोनिंशा मिटाकर खण्डित भारत को पुनः अखण्ड स्वरूप प्रदान करके मातृभूमि का ऋण चुकाएगा।

—वन्देमातरम्

परिशिष्ट-1

पण्डित नथूराम गोडसे का अपने माता-पिता के नाम अंतिम पत्र

"आसिन्धु भारतवर्ष पूरी तरह से स्वतन्त्र करने का मेरा ध्येय स्वप्न मेरे शरीर की मृत्यु से मरना अशक्य है।"

—नथूराम गोडसे

अम्बाला सेन्ट्रल जेल

दिनांक १२-११-१९४९ ई०

परम् वन्दनीय माताजी व पिताजी अत्यन्त विनम्रता से अंतिम प्रणाम! आपके आशीर्वाद विद्युत सन्देश (टेलीग्राम) से मिल गये, आपने आज का अपना स्वास्थ्य और वृद्धावस्था की स्थिति में यहां तक न आने की मेरी विनती मान ली, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। आपके छाया चित्र मेरे पास हैं और उनका पूजन करके ही में ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। लौकिक व्यवहार के कारण आपको तो इस घटना से परम दुःख होगा, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। लेकिन मैं यह पत्र किसी दुःख के आवेग से या दुःख की चर्चा के कारण नहीं लिख रहा हूं। आप गीता के पाठक हैं। आपने पुराणों का भी अध्ययन किया है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है और उसी भगवान ने राजसूय यज्ञ भूमि पर, युद्ध भूमि पर नही, शिशुपाल जैसे एक आर्य राजा का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया है। कौन कह सकता है कि, श्री कृष्ण ने पाप किया? श्री कृष्ण ने युद्ध में और दूसरी तरह से भी अनेक अहंकारी और प्रतिष्ठित लोगों की हत्या विश्व के कल्याण हेतु की है और गीता के उपदेश में अर्जुन को अपने बन्धु-बांधवों की हत्या करने के लिए बार-बार कह कर अंत में युद्ध के लिए प्रवृत्त किया है। पाप और पुण्य मनुष्य की कृति में नहीं, मनुष्य के मन में होता है। दुष्टों को दान देना पुण्य नहीं समझा जाता, वह अधर्म है, एक सीता देवी के कारण रामायण की कथा बन गयी, एक द्रोपदी के कारण महाभारत के इतिहास का निर्माण हुआ।

सहस्त्रावधि स्त्रियों का शील भृष्ट हो रहा था और करने वाले राक्षसों की हर तरह से सहायता करने के यत्न कर रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने प्राणों के भय से या जन निन्दा के डर से कुछ भी नहीं करना यह मुझसे नहीं हुआ। सहस्त्रावधि रमणियों के आशीर्वाद मेरे भी पीछे हैं, मेरा बलिदान मेरी प्रिय मातृभूमि के चरणों पर है। अपना एक कुटुम्ब अथवा कुछ कुटुम्बियों की दृष्टि में हानि अवश्य हो गयी है। लेकिन मेरी दृष्टि के सामने छिन्न-विछिन्न मन्दिर, कटे हुए मस्तिष्कों

की लाशें, बालकों की क्रूर हत्यायें, नारियों की विडम्बना, हर घड़ी देखने में आती थी। आततताई और अनाचारी लोगों को मिलने वाला सहारा तोड़ना मैंने अपना पवित्र ईश्वरीय कर्त्तव्य समझा। मेरा मन शुद्ध, मेरी भावना अत्यन्त शुद्ध थी, कहने वाले लाख तरह से कहें तो भी मेरा मन एक क्षण के लिए भी अस्वस्थ नहीं हुआ। अगर संसार में कहीं स्वर्ग होगा, तो मेरा स्थान उसमें निश्चित है। उसकी प्राप्ति के वास्ते मुझे कोई विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोक्ष होगा तेा मोक्ष की मनीषा मैं करता हूं।

दया मांग कर अपने जीवन की भीख मांगना मुझे जरा भी पसन्द नहीं था और आज की सरकार को मेरा धन्यवाद है कि उसने दया के रूप में मेरा वध नहीं किया, दया की भिक्षा से जिन्दा रहना ही मैं असली मृत्यु समझता था। मृत्यु दण्ड देने वालों में मुझे मारने की शक्ति नहीं है, मेरा बलिदान मेरी मातृभूमि अत्यन्त प्रेम से स्वीकार करेगी। मृत्यु मेरे सामने नहीं आई, मैं स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा हो गया हूं। मैं उसकी तरफ सहास्य वदन से देख रहा हूं और वह भी मुझे एक मित्र के नाते हस्तान्दोलन कर रही है। "आपुले मरण पाहिले म्यां डोला। जाहला तो सोहला अनुपमेव"॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च।
तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि॥ (भगवद्गीता)

गीता में तो जीवन और मृत्यु की समस्या का ही विवेचन श्लोक-श्लोक में भरा हुआ है। मृत्यु में ज्ञानी मनुष्य को शोक-विह्वल करने की शक्ति नहीं है। मेरे शरीर का नाश होगा, परन्तु मेरी आत्मा का नहीं "आसिन्धु-सिन्धु भारतवर्ष पूरी तरह से स्वतन्त्र कराने का मेरा ध्येय-स्वप्न मेरे शरीर की मृत्यु से मरना अशक्य है।" अधिक लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। सरकार ने आपको मुझसे मिलने का अंतिम अवसर नहीं दिया। सरकार से किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रखते हुए मुझे यह कहना पड़ेगा कि अपनी सरकार किस तरह से मानवता के तत्व को अपना रही है?

मेरे मित्रगण और चि० दत्ता गोविन्द, गोपाल आपको कभी भी अंतर नहीं देंगे आपकी चि० अप्पा के साथ और बातचीत हो जायेगी, वह आपको सब वृत निवेदन करेगा। जिस देश में लाखों मनुष्य हैं कि जिनके नेत्र से मेरे बलिदान के आंसू बहेंगे। वह लोग आपके दुःख में सहभागी हैं। आप स्वयं को ईश्वर की निष्ठा के बल पर अवश्य संभालेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

अखण्ड भारत अमर रहे, वन्देमातरम्। आपके चरणों को सहस्त्रशः प्रणाम!!

आपका विन्रम

नथूराम गोडसे

परिशिष्ट-२

गांधी हत्याकाण्ड की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष दिनांक ८ नवम्बर, १९४८ को अमर शहीद श्री नथूराम विनायक गोडसे के द्वारा दिए १५० पैराग्राफ के लिखित ऐतिहासिक बयान का संक्षिप्त सार।

बयान के पैराग्राफों का मूल क्रम यथावत रखा गया है।

(२६) मैंने एक भक्ति परायण ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है। इसलिए स्वभावतः मेरे हृदय में हिन्दू-धर्म, हिन्दू इतिहास और हिन्दू-संस्कृति के लिए सम्मान था। मुझे हिन्दुत्व का अभिमान था। ×× मैंने छूतछात और जन्मगत जातीयता को मिटाने का प्रयत्न किया ×× और इस निश्चय पर पहुंचा कि सब हिन्दू बराबर हैं।

(२८) पर्याप्त पढ़ने और सोचने के पश्चात् मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्त होने के नाते मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य हिन्दुत्व और हिन्दू जनता की सेवा करना है। ×× इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मैं हिन्दू संगठन की ओर आकृष्ट हुआ और मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया कि इन्हीं सिद्धान्तों पर चलकर मातृभूमि भारतवर्ष की स्वतन्त्रता को स्थाई रखा जा सकता है।

(३५) ×× १९४६ में सुहरावर्दी की सरकार के समय नोआखली (बंगाल) में मुसलमानों के हाथों हिन्दुओं पर जो अत्याचार हुए उससे हमारा खून खौल गया। हमारा क्षोभ उस समय और भी उग्र हो गया जब गांधी जी ने सुहरावर्दी को शरण दी औरप्रार्थना सभाओं में उसे 'शहीद साहब' के नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ किया। गांधी जी जब दिल्ली आए तो भंगी कालोनी के मन्दिर में अपनी प्रार्थना सभा में जनता और पुजारियों के विरोध करने पर भी उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ीं, लेकिन कभी भी वह किसी मस्जिद में (मुसलमानों के भय से) गीता न पढ़ सके। वह जानते थे कि मस्जिद में गीता पढ़ने से मुसलमानों द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। वे सदा सहनशील हिन्दुओं को ही कुचलते रहे। ×× मैं उनको यह सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि जब हिन्दू का अपमान होता है तब वह भी सहनशीलता छोड़ सकता है और ऐसा ही करने का निश्चय किया।

(३६) मैंने और आपटे ने यह निश्चय किया कि उनकी प्रार्थना सभाओं में इतने प्रदर्शन करें कि उनके लिए प्रार्थना सभा करना असम्भव हो जाए। श्री आपटे

ने कुछ शरणार्थी साथ लेकर शहर में एक जुलूस भी निकाला जिसमें गांधी जी और सुहरावर्दी के विरुद्ध नारे लगाए गए और भंगी कॉलोनी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन किया। उस समय हमारा हिंसा करने का लेशमात्र भी विचार न था फिर गांधी जी ने कायरतापूर्वक पिछले दरवाजे की शरण ली और अपने आपको सुरक्षित करने का प्रयत्न किया।

(४०) कुछ समय बाद ही पंजाब और भारत के अन्य भागों में मुसलमानों के अत्याचार शुरू हो गये। कांग्रेस शासन ने बिहार, कलकत्ता, पंजाब और अन्य स्थानों पर उन हिन्दुओं को ही गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का साहस किया था। जिस बात से हम डरते थे वही होकर रही। फिर भी कितनी लज्ञा की बात थी कि कांग्रेस शासन १५ अगस्त, १९४७ को रंगरेलियों रचाये, रोशनी करे और आनन्दोत्सव मनाए जबकि उसी दिन पंजाब में मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं का खून बहाया जा रहा था और पूरे पंजाब में हिन्दुओं के घर जलाए जा रहे थे। ××

(४८)३० जनवरी १९४८ की घटना का कारण राजनैतिक और केवल राजनैतिक था। मैं इस बात को सविस्तार बताऊंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि गांधीजी ×× अपनी प्रार्थना में गीता कुरान और बाईबिल से श्लोक पढ़ते थे। ×× मेरे मतभेद के कारण और थे।

(४९) उत्तर में वायव्य सीमा प्रान्त से लेकर दक्षिण में कुमारी अन्तरीप तक और करांची से आसाम तक सारी भूमि को मैं अपनी मातृभूमि मानता रहा हूं। इतने विशाल देश में प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं। मैं समझता हूं कि उन सबको अपने धर्म पर चलने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। भारत में हिन्दुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस देश से बाहर ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही हिन्दुओं की मातृभूमि है और पुण्यभूमि भी। हिन्दुओं के कारण यह देश प्रसिद्ध हुआ। कला, विज्ञन, धर्म एवं संस्कृति में इसको जो ख्याति मिली, वह भी हिन्दुओं के कारण मिली। ××

(५१) ×× अंग्रेजों से प्रोत्साहन पाकर मुसलमान यह अभिलाषा करने लगे कि हिन्दुओं पर आगे उनका आधिपत्य पुनः हो सकेगा। यह अभिलाषा प्रथम बार १९०६ में प्रकट हुई जब वाइसराय लार्ड मिण्टो का संकेत पाकर मुसलमानों ने हिन्दुओं से अलग चुनाव के अधिकार मांगे और अंग्रेजो ने धूर्ततापूर्वक यह कहकर अलग चुनावों को स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने से अल्पसंख्यक अर्थात् मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित हो जायेंगे। कांग्रेस ने पहले तो इसका थोड़ा सा विरोध किया परन्तु १९३४ में उसने इस प्रस्ताव को पास कराने में अप्रत्यक्ष सहायता की।

कांग्रेस ने कहा हम इस विषय में न 'हां' कहते हैं और न 'ना'।

(५२) इस प्रकार देश के विभाजन की मांग की नींव पढ़ी और नींव पड़ते ही यह मांग बढ़ी। जो प्रारम्भ में जरा सी बात थी, उसने अन्त में पाकिस्तान का रूप धारण कर लिया। ××

(५४) मुस्लिम लीग को एक ओर तो अंग्रजों की सहायता मिलती रही और दूसरी ओर गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का आशीर्वाद मिलता रहा। उधर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अपना पूरा समर्थन दिया और वह प्रतिवर्ष अपने अलग अधिकारों की मांगों को बढ़ाती गई।

(५५) जैसा मैंने पहले कहा है, कांग्रेस वैसे तो अलग चुनाव के सिद्धान्त के विरुद्ध थी, परन्तु १९१६ में उसने लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों की अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया औरफिर हर बार वह स्वीकार करती गई। इस प्रकार कांग्रेस, जो अपने ध्येय से हटती गई, आगे एक असहनीय कष्ट का कारण बनी।

(५६) ×× मेरा अटल विश्वास है कि अत्याचारी का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूं। श्री रामचन्द्र जी ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अन्त करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट सम्बन्धी भी थे। यहां तक कि पूज्यनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा, क्योंकि वे अत्याचारी के पक्ष में थे। ×× शिवाजी ने जिस प्रकार अफजलखां को मारा वह बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजलखां शिवाजी को मार डालता। गांधीजी, शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविन्द सिंह की निन्दा करते थे और उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे और इस प्रकार अपने बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे।

(५७) प्रत्येक देशभक्त वीर ने अपने समय में देश को अत्याचारों से बचाया। शक्ति से विदेशी आक्रमणों को रोका और मातृभूमि को मुक्त कराया। दूसरी ओर इस महात्मा के ३० साल के नेतृत्व में वे करतूतें हुईं जो पहले कभी नहीं हुईं थीं। अधिक से अधिक मन्दिरों को अपवित्र किया गया। अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अन्त में देश का एक तृतीयांश हाथ से जाता रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधीजी के अनुयाई उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अन्धा भी देख सकता है। ××

(५८) यह पार्टी (कांग्रेस) जिसके हाथ में अंग्रेजों की दी हुई शक्ति है, जिसने मुसलमानों की हिंसा के आगे सर झुका कर कायरता से भारत के विभाजन को

स्वीकार कर लिया। आज सैंकड़ों उल्टे-सीधे, उचित-अनुचित उपायों से अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्नशील है। गांधीजी की मृत्यु भी उनकी स्वार्थ-सिद्धि के उपयोग में लाई जा सकती है, परन्तु गांधी जी का ठीक स्थान कहां पर है यह इतिहास ही समय आने पर बताएगा। ××

(६४) ×× उन्होंने (गांधी जी ने) हिन्दू मुसलमान एकता पर अपनी राजनीति की नींव डाली। अंग्रेजों की चालों को कुचलने के लिए उन्होंने मुसलमानों से स्नेह बढ़ाना प्रारम्भ किया और उनसे बहुत से वादे शुरू कर दिए जिनमें हिन्दुओं की हानि थी। इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों की शक्ति बढ़ा दी। यह एकता बढ़ाने का कार्य उस समय तक तो ठीक था जब तक भारत की स्वतन्त्रता को प्रमुख उद्देश्य समझकर यह किया गया, परन्तु कुछ समय पश्चात गांधीजी ने अपना ध्येय ही मुसलमानों को संतुष्ट करना बना लिया जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं।

(६५) सन् १९१९ तक गांधीजी निराश रहे और मुसलमानों का विश्वास ग्रहण न कर पाए। वे वायदे पर वायदे करते चले गये। यहां तक कि उन्होंने मुसलमानों की मर्जी के अनुसार सब कुछ उन्हें देने की सोच ली। ×× उन्हीं दिनों मोपला विद्रोह हुआ और उसने यह सिद्ध कर दिया कि जिस एकता पर गांधीजी टकटकी लगाए बैठे थे उसका मुसलमानों पर लेशमात्र प्रभाव नहीं पड़ा है। मोपला विद्रोह में हिन्दुओं का बड़ी संख्या में संहार हुआ। बहुतों को बलात् मुसलमान बनाया गया। उनके घर फूंक दिए गये और उनकी स्त्रियों का अपमान किया गया। ×× खिलाफत आन्दोलन असफल रहा और गांधीजी की किसी ने नहीं सुनी। अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हो गये और मुसलमान हिन्दुओं के पक्के विरोधी हो गये, परन्तु गांधीजी अपनी एकता की जिद पर अड़े रहे। ×× गांधीजी के हिन्दू-मुस्लिम एकता के नारे निरर्थक रहे, परन्तु अब भी वे इसी आशा में बैठे थे कि वे हिन्दू और मुसलमान दोनों का नेतृत्व करेंगे। ज्यों ज्यों उनकी पराजय होती गई त्यों-त्यों वे मुसलमानों के लिए अधिक बलिदान करने को तत्पर होते गए। ×× परन्तु जिस प्रकार हारा हुआ जुआरी दांव पर दांव लगाता चला जाता है। उसी प्रकार गांधीजी भी दांव लगाते चले गये। वे सिन्ध और सीमा प्रान्त को भी अलग करने पर सहमत हो गये। वे मुस्लिम लीग की मांगों को पूरा करते रहे, चाहे वे उचित रही हो अथवा नहीं। ×× जिन्ना ने हर बात का पूरा लाभ उठाया। कांग्रेस ने पृथक-पृथक चुनाव के अधिकारों को मान लिया। ×× अप्रैल १९४० में अर्थात् (द्वितीय विश्वयुद्ध) युद्ध होने के छह माह के अन्दर ही जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के आधार पर पाकिस्तान की मांग रख दी। जिन्ना ने इस बात को भुला दिया कि भारतवर्ष में अधिकांश हिन्दू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। किसी प्रान्त

में हिन्दू या मुसलमानों की संख्या इतनी कभी न थी कि अल्पसंख्यक जाति की रक्षा का प्रश्न विभाजन से ही हल हो सकता।

(६६) ×× मुसलमान लड़ाई (द्वितीय विश्वयुद्ध) में अंग्रेजों की मदद करते रहे और कांग्रेस कभी तो युद्ध में सहायता देने का विरोध करती रही और कभी तटस्थ बनी रही। उस समय हिन्दू महासभा ने यह अनुभव किया कि यह अवसर है जब हिन्दू नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जा सकती है और यह भी कि अंग्रेज जान बूझकर हिन्दुओं को सैनिक शिक्षा से अलग रख रहे हैं। युद्ध के कारण हर प्रकार की सेवा में जाने के द्वार खुले थे और महासभा ने यह जोर दिया कि हिन्दू युद्ध में भाग लेकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करें। इसके परिणामस्वरूप १५ लाख हिन्दुओं ने आधुनिक सैनिक शिक्षा प्राप्त की। आज कांग्रेस हिन्दू महासभा की इस दूरदर्शिता का लाभ उठा रही है। ×× अप्रैल १९४५ में जर्मनी हार गया और अगस्त १९४५ में जापान। सन् १९४२ का 'भारत छोड़ो आन्दोलन' असफल रहा। अंग्रेज जीत गये और कांग्रेसी नेताओं ने यह निश्चय किया कि अंग्रेजों के साथ संधि की जाये और अन्त में कांग्रेस ने यह नीति अपना ली कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहे और शांति रहे, चाहे इन दो बातों के बदले कितना भी बड़ा मूल्य क्यों न देना पड़े। कांग्रेस ने अंग्रेजों से संधि कर ली और उनसे सत्ता ले ली। अन्ततोगत्वा वह जिन्ना की हिंसा के आगे झुक गई और भारत का एक तिहाई भाग अलग देश मानकर उसको दे दिया गया। जिसको इस्लामी देश मान लिया गया। इस कार्य में २० लाख मनुष्यों का संहार हुआ। पं० नेहरू अब यह कह रहे हैं कि भारत में सब जातियों का बराबर अधिकार है और जो लोग उनको याद दिलाते हैं कि गत वर्ष ही उन्होंने धार्मिक आधार पर जिन्ना के साथ संधि की थी उनके साथ वे कड़ा व्यवहार करते हैं। पं० नेहरू को अब भी भ्रम है कि वे हिन्दू मुस्लिम की एकता कर सकते हैं। यह उस आदमी की स्थिति है जो घर के बाहर तो संसार से डरे और अपने घर में पत्नी से। पं० नेहरू अब भी मुसलमानों से डरते हैं।

(६८) अब मैं भारत के विभाजन की दुर्घटना और गांधी जी के वध की चर्चा करूंगा। मुझे इन बातों की चर्चा करके प्रसन्नता नहीं होती, परन्तु भारतवासियों को और सारे संसार को उन तीस वर्षों के इतिहास का पता होना चाहिये जिनमें भारत के टुकड़े किये जाने की भूमिका बनी और हिन्दू-मुस्लिम एकता के नाम पर गांधीजी के गलत मार्गदर्शन में कांग्रेस अपना वास्तविक ध्येय खो बैठी। ५ करोड़ मुसलमान हमारे देश से अलग हो गये हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू या तो मार डाले गये हैं या उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है। १५ करोड़ १० लाख आदमी बेघरबार हो गए जिनमें ४० लाख मुसलमान भी हैं और इतने भयानक परिणाम के बाद भी गांधीजी अपनी उसी नीति पर चले जा रहे थे। इस दशा को देखकर मेरा खून खौल उठा और मैं यह

सहन नहीं कर सका कि वे कुछ और समय तक देश का विध्वंस करते रहें। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधीजी के विरुद्ध कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं उनकी कार्य प्रणाली और नीति का घोर विरोधी था और हूं। वास्तव में गांधीजी ने वह काम किया जो अंग्रेज हिन्दू मुसलमानों में फूट डालकर करना चाहते थे। उन्होंने भारत का विभाजन करने में अंग्रेजों की सहायता की। ××

(६९) बत्तीस वर्षों से गांधीजी मुसलमानों के पक्ष में जो कार्य कर रहे थे और अन्त में उन्होंने जो पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये दिलाने के लिये अनशन करने का निश्चय किया। इन बातों ने मुझे विवश किया कि गांधीजी को समाप्त कर देना चाहिये। ×× प्रत्येक निर्णय वे स्वयं करते थे। असहयोग आन्दोलन के सब कुछ वही थे। सब अधिकार उन्होंने अपने पास ही रखे कि कब उसे प्रारम्भ और समाप्त किया जाये। चाहे आन्दोलन सफल हो या असफल, चाहे इसके कारण कितनी भी विपत्तियां आएं, परन्तु गांधीजी अपनी जिद्द से नहीं हटते थे। ×× गांधीजी अपने सभी विषयों के स्वयं परमार्शदाता होते थे और स्वयं निर्णयकर्त्ता। कांग्रेस में बहुत से लोग यह जानते थे कि गांधीजी की नीति ठीक नहीं है, परन्तु उनके लिए केवल एक ही मार्ग था कि या तो कांग्रेस छोड़ दें या अपने आपको उनकी योजना के समक्ष समर्पित कर दें। ऐसी दशा में गांधीजी भूल करते गये असफलता पर असफलता पाते रहे और विपत्तियां लाते रहे। नीचे मैं उनकी उन भीषण भूलों का वर्णन करूंगा जो उन्होंने अपने बत्तीस वर्ष के नेतृत्व में की, जब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था।

(७०क) **खिलाफत**—×× भारतीय मुसलमान बहुत ही उग्रता से खिलाफत के पक्ष में थे। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज ही सुल्तान के पतन और खिलाफत आन्दोलन के कारण थे। इसलिए उन्होंने ही खिलाफत पुनः प्रारम्भ करने के लिए आन्दोलन किया। गांधीजी ने सोचा कि खिलाफत आन्दोलन का पक्ष लेकर वह भारत के मुसलमानों का नेतृत्व सहज में ही प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार यदि हिन्दू-मुसलमानों में एकता हो गई तो अंग्रेज शीघ्र ही स्वराज्य दे देंगे। गांधीजी ने खिलाफत आन्दोलन में कांग्रेस को लगा दिया और इस प्रकार राजनैतिक आन्दोलन में साम्प्रदायिकता ले आए, जो कि बहुत महंगी पड़ी और भारत के लिए अत्यन्त अनर्थकारी विपत्ति का कारण बनी। ×× आगे चलकर खिलाफत आन्दोलन को दबा दिया गया। मुसलमानों ने कांग्रेस और खिलाफत को सदा अलग समझा था। उन्होंने खिलाफत के समय कांग्रेस की मदद को स्वीकार किया था परन्तु वे कांग्रेस के साथ मिले नहीं थे। जब आन्दोलन असफल रहा तो मुसलमानों को बहुत निराशा हुई और अपना क्रोध उन्होंने हिन्दुओं पर उतारा। भारत में विभिन्न

स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष हुए और प्रत्येक स्थान पर हिन्दुओं को हानि पहुंची। महात्मा जी की हिन्दू-मुस्लिम एकता केवल एक स्वप्न बनकर रह गई।

(ख) **मोपला विद्रोह**—मालावार, पंजाब, बंगाल और सीमा प्रान्त में हिन्दुओं पर अत्यधिक अत्याचार हुए। जिस दुर्घटना को मोपला विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है उसमें हिन्दुओं की धन सम्पत्ति और जीवन पर सबसे बड़ा आक्रमण हुआ। सैंकड़ों हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया, स्त्रियों का अपमान किया गया, किन्तु गांधीजी जो अपनी नीति के कारण इसके उत्तरदायी थे, मौन रहे। अत्याचारियों के विषय में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और न कांग्रेस को इन काण्डों को रोकने के लिए कोई कार्य ही करने दिया, प्रत्युत दूसरी और यह कहना शुरू कर दिया कि मालावार में हिन्दुओं को मुसलमान नहीं बनाया गया। अपने पत्र **"यंग इण्डिया"** में उन्होंने प्रकाशित किया कि केवल एक ही ऐसी दुर्घटना हुई है यद्यपि उनके अपने मुसलमान मित्रों ने स्वीकार किया कि मुसलमान बनाने की घटनाएं अनेक हुई हैं परन्तु उन्होंने अपने वक्तव्य को कभी नहीं सुधारा और मालावार के मुसलमानों की सहायता के लिए निधि संग्रह (फण्ड) शुरू कर दिया। इतने पर भी हिन्दू मुस्लिम एकता का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सका।

(ग) **अफगानिस्तान के अमीर की सहायता**—×× "जो खिलाफत का शत्रु है, वह मुसलमान का शत्रु है और चूंकि अंग्रेजों के कारण टर्की के सुल्तान की हार हुई और उसे गद्दी छोड़नी पड़ी इसलिए हर मुसलमान अंग्रेजों का शत्रु है और प्रत्येक मुसलमान का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह अंग्रेजों का विरोध करें।" इस ध्येय की पूर्ति के लिए गांधीजी और अली भाइयों ने गुप्त रूप से अमीर अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने का निमन्त्रण दिया और उसे हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। गांधीजी के एक लेख का अंश नीचे दिया जा रहा है जो उन्होंने उन दिनों लिखा था। इससे पता चलता है कि **किस प्रकार गांधीजी अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के ऊपर अपने देश तक को न्यौछावर कर देने पर तुल गये थे। वे अपनी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले एक विदेशी राजा को सहायता देने के लिये तैयार हो गये थे।** गांधीजी के शब्द निम्नलिखित हैं—"मैं नहीं समझ सकता कि जैसी खबर फैली हुई है, अली भाइयों को क्यों जेल में डाला जाएगा और मैं स्वतन्त्रता से रहूंगा? उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मैं न करूं! यदि उन्होंने अमीर अफगानिस्तान को आक्रमण के लिए सन्देश भेजा है तो मैं भी उसके पास सन्देश भेज दूंगा कि जब वह भारत आएंगे, तो जहां तक मेरा बस चलेगा एक भी भारतवासी उनको हिन्द से बाहर निकलने में सरकार की सहायता नहीं करेगा।" ब्रिटिश गुप्तचरों ने उस षड्यन्त्र को फोड़ा। अली बन्धुओं का मनोरथ ढह गया। हिन्दू-मुस्लिम एकता पहले जितनी ही दूर रही।

(घ) **आर्य समाज पर आक्रमण**—(i) गांधीजी ने १९२४ में मुसलमानों के

प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिये आर्य समाज पर आक्रमण का घृणित काय भी किया और आर्य समाज की जी भरकर निन्दा की। यह बहुत ही पतित कार्य था जो उन्होंने किया, परन्तु गांधीजी की हार्दिक इच्छा यह थी कि मुसलमानों को खुश रखा जाये, चाहे कुछ भी करना पड़े। ×× **वास्तविकता तो यह है कि स्वामी दयानन्द का कोई भी अनुयायी गांधीजी का शिष्य नहीं बन सकता क्योंकि दोनों स्थितियां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, परन्तु कुछ लोग नेता बनने की इच्छा से दोहरी चाल चलते रहे। एक ओर वे आर्य समाजी रहे और दूसरी ओर गांधीवादी कांग्रेसी।** ×× (ii) गांधीजी ने जो आर्य समाज की निन्दा की उससे गांधीजी मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं हुये। प्रत्युत उनके इस आचरण ने मुसलमानों को उकसा दिया और एक मुसलमान युवक ने आरोप लगाया कि यह संस्था बुरी भावना फैलाने वाली है। ×× आगे चलकर लोग इस बात को भूल गये कि गांधीजी ने आर्य समाज को कितनी हानि पहुंचाई थी? ××

(ङ) **सिंध प्रान्त का विभक्तिकरण**—१९२८ तक जिन्ना का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था और गांधीजी ने देश और हिन्दुओं को नुकसान पहुंचाकर भी जिन्ना की बहुत सी अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया था। गांधीजी ने सिंध को बम्बई से अलग करने की बात को भी मान लिया और इस प्रकार सिन्ध में हिन्दुओं को साम्प्रदायिक दानवों के हाथों सौंप दिया गया। बहुत से झगड़े करांची, सक्खर शिकारपुर और सिन्ध के दूसरे स्थानों पर हुये और उनमें हिन्दुओं का ही व्यापक विनाश हुआ। हिन्दू मुस्लिम एकता स्वप्न बनकर रह गई।

(च) **मुस्लिम लीग कांग्रेस से विदा**—प्रत्येक पराजय के बाद गांधीजी हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए अधिक उत्साह और उग्रता से कार्य करने लगते थे। हारे हुए जुआरी की तरह वह अपने दांव बढ़ाते गये कि किसी प्रकार जिन्ना को प्रसन्न किया जा सके और मुसलमान उनका नेतृत्व स्वीकार करें, परन्तु दिन प्रतिदिन मुसलमान कांग्रेस से हटते गये यहां तक कि १९२८ के बाद लीग ने कांग्रेस से कोई सम्बन्ध रखने से ही इंकार कर दिया। १९२९ में जब कांग्रेस ने स्वतन्त्रता प्रस्ताव लाहौर में पास किया तब मुसलमान उसमें सम्मिलित नहीं हुये। इसके बाद हिन्दू मुस्लिम एकता की आशा किसी को नहीं रही, परन्तु गांधीजी अपनी जिद्द पर अड़े रहे और मुसलमानों को हिन्दू-हितों की अधिक से अधिक बलि देते चले गये।

(ठ) **हिन्दी के विरुद्ध हिन्दुस्तानी**—राष्ट्र भाषा के प्रश्न पर भी गांधीजी ने मुसलमानों का जिस प्रकार अनुचित पक्ष लिया उसका कोई और उदाहरण नहीं मिलता। ×× मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिन्दुस्तानी को ही राष्ट्र भाषा बनाया जाये। उनके अंधे अनुयायी इसी भाषा का प्रचार करने लगे और यत्र-तत्र इस भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। **"बादशाह**

राम और बेगम सीता" जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, परन्तु इस महात्मा में इतना साहस न था कि मिस्टर जिन्ना को महाशय जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पण्डित आजाद कहे। उन्होंने जितने भी अनुभव प्राप्त किये वे हिन्दुओं की बलि देकर ही किये। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता की खोज में बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिन्दी के सौन्दर्य और मधुरता को नष्ट कर दिया गया। ×× गांधीजी में इतना साहस नहीं था कि हिन्दी की प्रतियोगिता में उर्दू का प्रचार कर सकें, इसलिए उन्होंने उर्दू को हिन्दुस्तानी के नाम से चलाने की घृणित चाल चली। उर्दू पर किसी भी देशभक्त ने प्रतिबन्ध नहीं लगाया, परन्तु उर्दू को हिन्दुस्तानी के नाम से लादना एक धोखा है और अपराध है। यह थी गांधीजी की करतूतें। हिन्दुस्तानी के रूप में एक ऐसी भाषा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, गांधीजी के कहने पर स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। इसलिए नहीं कि इसमें कोई लाभ था, प्रत्युत इसलिए कि इससे मुसलमान खुश हो सकते थे। इससे अधिक साम्प्रदायिक अत्याचार और क्या होगा? यही है गांधीजी की सेवाएं हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए।

(ड) न गाओ वन्देमातरम्—गांधी का सबसे बड़ा गुण यह था कि सम्पूर्ण हिन्दू राष्ट्र के सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, न्याय और अन्याय का विचार न करके वे मुसलमानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे मुसलमानों के लीडर बनें। यह कितनी लज्जाजनक बात है कि मुसलमान यह पसन्द नहीं करते थे कि "वन्देमातरम्" का राष्ट्रीय गीत गाया जाये इसलिए गांधीजी ने जहां वह कर सकते थे उसे बन्द करा दिया। ×× जब एक मुसलमान ने इस पर आपत्ति की तब गांधीजी ने सारे राष्ट्र की भावना को ठुकराकर कांग्रेस पर दबाव डाला कि इस गीत के बिना ही काम चलाया जाए। इसलिए आज हम रविन्द्रनाथ का "जनगणमन" गीत गाते हैं। और "वन्देमातरम्" बन्द कर दिया गया है क्या इससे भी पतित कोई काम हो सकता है कि ऐसे विश्व प्रसिद्ध कोरस को केवल इसलिए बन्द कर दिया जाये कि एक अज्ञानी हठधर्मी समुदाय उसे पसन्द नहीं करता। यदि इस विषय को उचित ढंग से लिया जाता तो अज्ञानियों का अज्ञान मिट जाता और उनको प्रकाश मिलता, परन्तु अपने ३० वर्षों के नेतृत्व में गांधीजी को ऐसा साहस कभी नहीं हुआ। उनकी हिन्दू-मुस्लिम एकता की नीति का एक ही अर्थ था कि मुसलमानों के आगे मस्तक झुकाते जाएं और वे जो कुछ मांगें वह सब कुछ उन्हें दे दिया जाए। परन्तु इस प्रकार एकता न तो आई न आ सकती थी।

(ढ़) शिवाबावनी पर प्रतिबन्ध—गांधीजी ने **'शिवाबावनी'** जैसी साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना पर भी प्रतिबन्ध लगवा दिया कि उसे लोगों के बीच न पढ़ा जाए। **'शिवाबावनी'** ५२ छन्दों का एक संग्रह है जिसमें छत्रपति शिवाजी

महाराज की प्रशंसा गाई गई है और इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिन्दू-धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। 'शिवाबावनी' में एक छन्द है कि यदि शिवाजी न होते तो सारा देश मुसलमान हो जाता—

कुम्भकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब,
काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रव की।
तोड़ डाले देवी देव शहर मुहल्लों के,
लाखों मुसलमां किए, माला तोड़ी सबकी।
भूषण भणत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ।
और कौन गिनती में भूली गति भव की।
काशी कर्बला होती मथुरा मदीना होती।
शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी।

यह **'शिवाबावनी'** लाखों के लिए आनन्द और स्फूर्ति का स्रोत है एवं साहित्य और इतिहास में अद्वितीय महत्व रखती है, परन्तु गांधीजी तो अपनी हिन्दू-मुस्लिम एकता की धुन में लगे हुए थे और इस ध्येय की पूर्ति के लिए हिन्दू संस्कृति, इतिहास और धर्म के दमन के अतिरिक्त उनके सामने कोई सरल मार्ग न था।

(ण) **सुहरावर्दी को संरक्षण**—×× नेहरू मंत्रिमण्डल के निर्माण के दो सप्ताह पूर्व अर्थात् १५ अगस्त १९४६ को कलकत्ता में हिन्दुओं का व्यापक संहार किया गया तो बिना रोक-टोक के तीन दिन तक चलता रहा। इन दिनों की भयानक घटनाओं के रोमांचकारी चित्र प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक 'स्टेट्समैन' ने प्रकाशित किये थे। ×× उस समय गांधीजी कलकत्ता गए और इन सब अत्याचारों की जड़ सुहरावर्दी से उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली। वास्तव में गांधीजी वहां सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग का पक्ष लेकर ही गये थे। इन तीन तीन दिनों मैं जबकि वहां पर हिन्दुओं का सर्वनाश हुआ, पुलिस ने लोगों की रक्षा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और जिन लोगों का कर्तव्य जनता की रक्षा करना है, उन्हीं की आंखों के सामने कत्ल हुए, परन्तु गांधीजी ने इस पैशाचिक काण्ड को साधारण घटना समझा। उन्होंने सुहरावर्दी की बहुत प्रशंसा की और उसको 'शहीद' अर्थात् हुतात्मा कहकर पुकारा। प्रायः दो ही मास पीछे नोआखाली और टिपरा जिलों में काण्ड हुए। आर्य समाज के प्रतिवृत्त के अनुसार ३०,००० स्त्रियों को बलपूर्वक हिन्दू से मुसलमान बनाया गया। तीन लाख लोग मारे गये और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति लूट ली गई। ×× किन्तु इस महा संहार के आयोजक सुहरावर्दी को गांधीजी ने 'शहीद साहब' की पदवी दी थी।

(त) **हिन्दू और मुस्लिम राजाओं में अन्तर**—गांधीजी के अनुयाइयों ने राजकोट और भावनगर के राजाओं के कथित अत्याचारों की पर्याप्त निंदा की।

गांधीजी के अनुयाईयों ने ही काश्मीर में मुसलमानों को प्रोत्साहित किया कि वे हिन्दू राजा के विरुद्ध विद्रोह करें, परन्तु गांधीजी ने ऐसा कोई कार्य मुस्लिम रियासतों में नहीं किया। ग्वालियर में मुस्लिम लीग ने एक षड्यन्त्र रचा जिसका परिणाम यह हुआ कि महाराज सिन्धिया विवश हो गये कि विक्रम संवत्सर की दो सहस्रवीं वर्ष गांठ न मनाएं। यह घटना चार वर्ष पहले की है। यह विद्रोह साम्प्रदायिक उद्देश्य से किया गया था। वहां के महाराजा बहुत उदार और दूरदर्शी थे, किन्तु कुछ समय पूर्व जब ग्वालियर में उपद्रव हुआ और मुसलमानों को थोड़ी सी हानि पहुंची तब गांधीजी ने अनुचित रूप से महाराज की निन्दा की।

(थ) **गांधीजी का अनशन**—१९४३ में जेल में गांधीजी ने जब अनशन किया ×× उन दिनों श्री राजगोपालाचार्य उनसे मिले और पाकिस्तान बनाने की योजना का उन्हें परामर्श दिया। गांधीजी ने उनको इस विषय में जिन्ना से बातचीत करने की आज्ञा दी। फिर १९४४ में गांधाजी तीन सप्ताह तक जिन्ना से बातचीत करते रहे और उसने वर्तमान पाकिस्तान जैसी ही योजना उनके सामने रखी। गांधीजी प्रतिदिन जिन्ना के घर जाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, उससे गले मिलते थे, परन्तु जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग से एक इंच न हटा। ××

(द) **देसाई लियाकत संधि पत्र**—सन् १९४५ में देसाई लियाकत की कुख्यात संधि हुई। ×× जो घोषणा हुई उसने तो सारे देश को ही मूर्ख बना दिया। वस्तुतः इससे कांग्रेस ने प्रजातन्त्र और राष्ट्रीयता के साथ अनर्थ कर डाला। ×× कुछ समय पीछे यह पता चला कि इस संधि की आड़ में गांधीजी खेल रहे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब कुछ हुआ था। कांग्रेस ने यह भली भांति स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों को ५० प्रतिशत अधिकार दे दिये जाएं। यहां यह बात ध्यान योग्य है कि मुसलमानों का अनुपात २५ प्रतिशत था और हिन्दुओं का ७५ प्रतिशत, किन्तु गांधीजी ने दोनों को बराबर कर दिया। वाइसराय ने कान्फ्रेंस करने से पहले और भी कुछ शर्तें रख दीं। ×× **जिन लोगों ने तीन वर्ष पहले पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए 'भारत छोड़ो' आन्दोलन खड़ा किया था और 'करो या मरो' के सिद्धान्त पर चलकर विद्रोह किया था, उन्होंने चुपके से अंग्रेजों की सब शर्तें मानकर पद संभाल लिए।** ××

(ध) **कैबिनेट मिशन प्लान**—१९४६ के प्रारम्भ में कैबिनेट मिशन भारत आया। ×× जो मिशन ने किया यह भारत के लिए बहुत हानिकारक रहा। कांग्रेस संगठित भारत चाहती थी। परन्तु कांग्रेस को अपने ध्येय और अपनी मांग पर आत्मविश्वास न था। दूसरी ओर जिन्ना विभाजित भारत चाहता था और वह अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। ×× मुस्लिम लीग ने 'सीधी कार्यवाई' प्रारम्भ की। बंगाल, पंजाब, बम्बई और अन्य स्थानों पर मुसलमानों ने ऐसे रक्तपात, लूटपाट और अग्निकाण्ड किए कि इतिहास में कहीं भी उनका उदाहरण देखने को नहीं

मिलता। हानि केवल हिन्दुओं की ही हुई। कांग्रेस ने उस समय अद्‌भुत नपुंसकता का परिचय दिया और वह किसी स्थान पर भी हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकी। ×× लाखों हिन्दू मारे गऐ, सहस्त्रों हिन्दू स्त्रियों और बच्चों को उठा लिया गया जिनमें से बहुत कम वापिस आए। करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति लूट ली गई, जला दी गई या नष्ट कर दी गई, किन्तु गांधीजी की हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रेम तब भी उतना ही दूर रहा जितना पहले था।

(न) **कांग्रेस जिन्ना की शरण में**—अगले वर्ष ही कांग्रेस ने जिन्ना की सम्मुख आत्म समर्पण कर दिया। पाकिस्तान मान लिया गया। जो कुछ उसके पश्चात् हुआ, वह सबको भली-भांति ज्ञात है। गांधीजी फिर भी मुसलमानों का पक्ष लेते रहे। जो लाखों हिन्दू लुटे-पिटे और नष्ट हुए, इस महात्मा ने उनके लिए एक शब्द भी न कहा। **वह स्वयं को मानवता का सेवक कहता था, किन्तु उसके लिए मानवता के एक मात्र प्रतीक मुसलमान थे। हिन्दू उनकी मानवता के क्षेत्र में नहीं आते थे। इस विचित्र 'साधुवृत्ति' को देखकर मुझे आघात पहुंचा।**

(प) **पाकिस्तान पर द्वि-अर्थक वक्तव्य**—अपने एक लेख में गांधीजी ने पाकिस्तान की कल्पना का कड़ा विरोध प्रगट किया, किन्तु वह दिखावा मात्र था **क्योंकि उसी लेख में वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मुसलमान किसी भी मूल्य पर पाकिस्तान चाहते हों तो वह प्राप्त करने में उन्हें कौन रुकावट डाल सकेगा?** इस कथन का अर्थ महात्मा ही जानें। क्या यह पाकिस्तान का पुरस्कार था? क्या वह पाकिस्तान की घोषणा थी? क्या वह पाकिस्तान की मांग का प्रतिरोध था?

(फ) **काश्मीर के महाराज को कु-परामर्श**—काश्मीर के विषय में गांधीजी सदा यह परामर्श देते रहे कि सत्ता शेख अब्दुला को सोंप दी जाए। केवल इसलिए कि काश्मीर में मुसलमान अधिक संख्या में हैं। इसलिए गांधीजी का मत था कि महाराज हरी सिंह को संन्यास लेकर काशी चले जाना चाहिए, परन्तु हैदराबाद के विषय में गांधीजी की नीति भिन्न थी। यद्यपि वहां हिन्दुओं की संख्या अधिक थी, परन्तु गांधाजी ने कभी न कहा कि निजाम फकीरी लेकर मक्का चले जाएं।

(ब) **माउण्टबेटन ने हिन्दुस्तान का विभाजन किया**—१५ अगस्त १९४६ के पश्चात् मुस्लिम लीग के गुण्डों ने हिन्दुओं को लूटना प्रारम्भ कर दिया और जहां कहीं उनको अवसर मिला वे नहीं चूके। ×× कराची से बंगाल तक हिन्दुओं का रक्त बहाया जाने लगा। ×× लार्ड माउण्टबेटन आया। ×× उसकी आंखों के सामने रक्त की नदियां बहीं। स्यात उसका विचार था कि जितने हिन्दू मर रहे हैं उतने शत्रु ही कम हो रहे हैं, क्योंकि हिन्दू ही उसकी योजना की पूर्ति में बाधा डाल रहे थे। ×× कांग्रेस, जो राष्ट्रीयता का जयघोष कर रही थी जिन्ना की तलवार के आगे झुक गई और गुप्त रूप से उसने पूर्ण पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। ×× १५ अगस्त, १९४७ को भारत की तिहाई भूमि विदेशी बन गई। कांग्रेसी क्षेत्र में लार्ड

माउण्टबेटन सभी वाइसरायों में महान वाइसराय और गर्वनर जनरल बताया जाने लगा, क्योंकि उसने हिन्दुस्तान के तीन टुकड़े करके ३० जून, १९४८ से १० मास पहले ही कांग्रेस को सत्ता दे दी। यही वह उपलब्धि है जो गांधीजी से ३० वर्षों में भारत को प्राप्त हुई। इसी को कांग्रेस स्वतन्त्रता के नाम से पुकारती है। **इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इतना रक्तपात हुआ और फिर भी उसके परिणाम को शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण का नाम दिया जाए** और उसे स्वतन्त्रता के नाम से पुकारा जाए। यदि १९४६-४७ और ४८ की घटनाएं भी शांति की द्योतक हैं तो पता नहीं अशांति किसे कहते हैं? हिन्दू मुस्लिम एकता का बुलबुला अन्त में फट गया और साम्प्रदायिक आधार पर अलग देश बन गया **पं० नेहरू और उनके साथी इस स्वतंत्रता का श्रेय अपने तथाकथित बलिदानों को देते हैं, परन्तु वास्तविक बलिदान तो जिनके हैं, उन्हीं के रहेंगे।**

(भ) **गांधीजी और गोवध**—गांधीजी गो रक्षा के लिए बड़ी तीव्र इच्छा प्रगट किया करते थे, परन्तु वास्तव में उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। प्रार्थना सभा में वे जो भाषण देते थे उनमें एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मान लिया कि वे गोरक्षा में असफल रहे हैं। उनके उस भाषण का अंश नीचे उद्धृत हैं—

"आज राजेन्द्र बाबू ने मुझे सूचना दी है कि उनके पास ५० हजार पोस्टकार्ड और पच्चीस-तीस हजार के लगभग तार आए हैं कि गोहत्या को कानून द्वारा बन्द कर दिया जाए। इस विषय में मैंने पहले भी एक बार कुछ कहा था। पता नहीं इतने पोस्ट कार्ड और तार क्यों भेजे गये हैं? इसका कोई लाभ नहीं! **भारत में गोहत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता।** मैं अपनी इच्छा को उस मनुष्य पर कैसे लाद सकता हूं जो अपनी इच्छा से गोहत्या नहीं छोड़ना चाहता?" ××

(म) **तिरंगे झंडे का अपमान**—×× इस राष्ट्र ध्वज के साथ कांग्रेस का इतना घनिष्ठ संबंध था कि जब नोआखाली और टिपरा के १९४६ के कांडों के पश्चात् गांधीजी नोआखाली का दौरा कर रहे थे तो वह ध्वज उनकी कुटिया पर भी लहरा रहा था, परन्तु जब एक मुसलमान को उस ध्वज के वहां लहराए जाने पर आपत्ति हुई तो गांधीजी ने तत्काल उसे उतरवा दिया। लाखों कांग्रेसियों एवं करोड़ों देशवासियों की इस ध्वज के प्रति श्रद्धा को उन्होंने इस प्रकार अपमानित किया। केवल इसलिए कि इस ध्वज को उतारने से एक कट्टर मुसलमान खुश होता था। फिर भी गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम एकता के ध्येय को प्राप्ति नहीं कर सके।

(७१) बड़ी संख्या में लोग इस भ्रम में हैं कि भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन १९१४-१५ में उस समय आरम्भ हुआ जब गांधीजी जेल में गए और १५ अगस्त १९४७ को समाप्त हो गया जब 'राष्ट्रपिता' गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिल गई। सहस्रों वर्षों। के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब इतने अधिक लोगों को

धोखे में रखा गया हो और वे उस धोखे पर विश्वास करते गए हों। स्वतन्त्रता दिलाना तो दूर, गांधीजी ने भारत को ऐसी दशा में लाकर छोड़ दिया कि उसके खण्ड-खण्ड हो गए और स्थान-स्थान पर रक्तपात होने लग गया। भारत में गांधीजी के पूर्व शताब्दियों से एक ऐसा स्वतन्त्रता आन्दोलन चल रहा था जो कुचला नहीं जा सका। ×× वीर सावरकर के '१८५७ का स्वतंन्त्रता समर' नामक ग्रन्थ के अनुसार भारतवासियों ने अंग्रेजों के आधिपत्य का अन्त करने के लिए प्रचंड पराक्रम किया। ××

(७२) गांधीजी भारत में १९१४-१५ में आए। इसके आठ वर्ष पूर्व ही भारत के अधिकांश भाग में क्रान्तिकारी आन्दोलन फैल चुका था। स्वतंत्रता संग्राम का अभी अन्त नहीं हुआ था। वह अब भी चिंगारियों की भांति सुलग रहा था। गांधीजी और उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धान्तों से वह आन्दोलन दुर्बल होने लगा था। ××

(७५) मैं उस क्रान्तिकारी दल का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं जो कांग्रेस से अलग था। ×× 'कामा गाटा मारू' की घटना को सब भलीभांति जानते हैं। ×× रौलट रिपोर्ट में लिखा गया कि हिन्दुस्तान में क्रान्तिकारियों की संख्या अधिक है। १९०६ से १९१८ तक क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं को गोली का निशाना बनाया और अंग्रेज भयभीत रहने लगे। वे यहां अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझते थे। ×× जलियांवाले बाग की दुर्घटना हुई जिसमें निशस्त्र जनता की सभा पर डायर ने यह कर गोलियां चलवाईं कि सभा रौलट ऐक्ट के विरोध में हो रही थी। ×× किन्तु २० वर्ष पश्चात् उसे अपनी करतूतों का फल चखना पड़ा, जब सरदार ऊधमसिंह ने लन्दन में उसे गोली से उड़ा दिया। मदनलाल धींगरा, भगतसिंह, बी०के० दत्त, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव उन वीरों में से हैं जिन्होंने विदेशी राज्य को प्रकंपित किया। कुछ ने तो उस समय काम किया था जब महात्मा गांधी को कोई नही जानता था। कुछ ने तब काम किया था जब गांधीजी कांग्रेस के वैधानिक आन्दोलन के नेता थे।

(७६) मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्रान्तिकारी आन्दोलन बंगाल और महाराष्ट्र से चलकर पंजाब तक पहुंच चुका था। जो लोग इस आन्दोलन में काम करते थें वे ऐसे-वैसे घरों के बालक न थे। वे पढ़े-लिखे थे और संभ्रान्त समाज से सम्बन्ध रखते थे। मातृभूमि की स्वतन्त्र्य की वेदी पर अपने सुख-सुविधाओं में पले हुए जीवन की बलि देने वाले वे वीर सच्चे हुतात्मा थे। उन्हीं के रक्त से भारतीय स्वातंत्रय मन्दिर की नींव सींची गई है। लोकमान्य तिलक ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को संगठित किया। महात्मा ने तो बने बनाए का लाभ प्राप्त किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि १९०९ से १९३५ तक विधान में जितने भी सुधार हुए वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण हुए।

(७७) ×× गांधीजी ने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रान्तिकारी आन्दोलन की निन्दा की, इसके विपरीत भारत की जनता हृदय से क्रान्तिकारियों की सराहना करती रही। ×× गांधीजी ने स्वतन्त्रता प्राप्ति में शस्त्र प्रयोग की जितनी निन्दा की उतना ही क्रान्तिकारी आन्दोलन लोकप्रिय होता गया। यह बात मार्च, १९३१ के कांग्रेस के करांची अधिवेशन से स्पष्ट है। गांधीजी के कठोर विरोध के बावजूद भगतसिंह के उस साहस की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। ×× गांधीजी इस पराजय को नहीं भूले और कुछ मास पश्चात् जब श्री गोगटे ने बम्बई के गवर्नर हॉटसन पर गोली चलाई तब उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कीबैठक में कहा कि हॉटसन पर गोली चलाने का मुख्य कारण वह प्रशंसा का प्रस्ताव है जो करांची में भगतसिंह के लिए पास किया गया था। गांधीजी के इस कथन का विरोध श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उसी बैठक में किया। इसी से गांधीजी उनको अपना विरोधी समझने लगे। भारत की स्वतन्त्रता में क्रान्तिकारी दल को सर्वाधिक श्रेय है। **जो लोग यह कहते हैं कि गांधीजी के परिश्रम से स्वतन्त्रता मिली, वे केवल कृतघ्नता ही नहीं करते प्रत्युत एक झूठा इतिहास बनाना चाहते हैं।** १८९५ के बाद स्वतन्त्रता के युद्ध का सच्चा इतिहास उस समय तक नहीं लिखा जा सकेगा जब तक सत्ता गांधीवादियों के हाथ में है तब तक देश भक्त नवयुवकों के महान कार्य को अन्धकार में ही रखा जाएगा। ××

(७८) गांधीजी केवल उन्हीं का विरोध नहीं करते थे जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए शस्त्र प्रयोग करना चाहते थे बल्कि उन लोगों का भी कड़ा विरोध करते थे जिनके विचार गांधीजी के विचारों से भिन्न थे। गांधीजी की अप्रसन्नता के एक पात्र सुभाषचन्द्र बोस भी थे। फिर भी सुभाषचन्द्र बोस इतने लोकप्रिय हुए कि गांधीजी की इच्छा के विपरीत डॉ॰ पट्टाभि सीतारमैया के विरोध में प्रबल बहुमत से चुने गए। ×× गांधीजी को क्षोभ हुआ, उन्होंने कहा कि "सुभाष की जीत गांधी की हार है।" गांधीजी के मन में विष भर आया और द्वेषाग्नि में जलते हुए वे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नहीं गए और राजकोट में धूर्ततापूर्वक अनशन और सत्याग्रह छेड़ दिया। जिस समय तक सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेस की गद्दी से नहीं उतार दिया गया तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ।

(७९) सुभाष चन्द्र बोस के दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने और यहां से बाहर जाने की घटनाएं यह प्रगट करती हैं कि गांधीजी किस प्रकार धूर्ततापूर्वक कांग्रेस से अपना काम निकाल लेते थे। १९३४ के बाद गांधीजी बार-बार यही कहते रहे कि वे तो कांग्रेस के चार आने के सदस्य भी नहीं हैं। ×× किन्तु सुभाष जब दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तब गांधीजी के क्रोध से यह पता चला कि वे कांग्रेस कार्य में खूब हस्तक्षेप करते थे। ×× झूठ बोलने का इससे सुन्दर उदाहरण और कहां मिलेगा?

(८५) मुस्लिम लीग देश की शान्ति को भंग कर रही थी और हिन्दुओं पर अत्याचार कर रही थी। ×× कांग्रेस इन अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ करना नहीं चाहती थी, क्यों कि वह मुसलमानों को प्रसन्न रखना चाहती थी। ×× **मेरा विचार है मुसलमानों के आगे झुकना आजादी के लिए युद्ध करना नहीं था। इससे तो अपना ही सत्यानाश हुआ और देश का एक तिहाई भाग हाथ से जाता रहा।** स्वराज्य प्राप्त करने में गांधीजी का कोई हाथ नहीं है। वह देशभक्त थे, परन्तु उनके प्रचार का प्रभाव विपरीत हुआ। उनके नेतृत्व ने देश को उल्लू बनाया। मेरे विचार में देशभक्त सुभाष थे, जिन्होंने देशभक्ति की सच्ची ज्वाला प्रज्ज्वलित की और जब आवश्यकता समझी तो शक्ति का भी प्रयोग किया। ××

(८८) **गांधीजी के "हिन्दू-मुस्लिम एकता" सिद्धान्त का महत्व तो उसी समय नष्ट हो गया जिस समय पाकिस्तान बना।** ×× हिन्दू तो उनके (गांधी जी के) परामर्श पर चलते रहे, किन्तु मुसलमानों ने गांधीजी की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने व्यवहार से वे सदा हिन्दुओं का अपमान और अहित करते रहे और अन्त में देश दो टुकड़ों में बंट गया।

(९०) गांधीजी जिन्ना से बहुत बार मिलने गए। वह सदा उसको भाई जिन्ना या "कायदे आजम" कहकर पुकारते रहे, परन्तु ऐसा अवसर कभी नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो, जबकि गांधीजी ने उसे सारे भारत की बागडोर सौंप देने तक का प्रस्ताव रख दिया था।

(९१) नोआखाली काण्ड के एक वर्ष पश्चात् तक देश में रक्तपात होता रहा। मुसलमानों ने निर्दयता से हिन्दुओं का संहार किया। कई स्थानों पर हिन्दुओं ने भी उत्तर दिया। ×× लेकिन वे इस विषय में सदा-सर्वदा हिन्दुओं की ही निन्दा करते रहे और कांग्रेस सरकार ने तो बिहार के हिन्दुओं पर गोलियां भी बरसाईं। ×× गांधीजी ने अपनी प्रार्थना सभा के भाषणों में यह प्रचार किया कि भारत में हिन्दुओं को चाहिए कि वे मुसलमानों के साथ बहुत आदर और उदारता का व्यवहार करें। ×× गांधीजी के निम्नलिखित भाषणों से यह भली-भांति ज्ञात होता है:-

(क) "हमें शान्तिपूर्वक यह विचारना चाहिए कि हम कहां बहे जा रहे हैं? **हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए; चाहे मुसलमान उन्हें मिटाने का विचार ही क्यों न रखते हों। अगर मुसलमान सभी को मार डालें तो हम बहादुरी से मर जाएं।** इस दुनिया में भले उन्हीं का राज हो जाए। हम नई दुनिया के बसने वाले हो जाएंगे। कम से कम मरने से हमें बिलकुल नहीं डरना चाहिए। जन्म और मरण तो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, फिर उसमें हर्ष-शोक क्यों करें। अगर हम हंसते-हंसते मरेंगे तो सचमुच एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, एक नए हिन्दुस्तान का निर्माण करेंगे।" (दिनांक ६ अप्रैल १९४७)

(ख) "मेरे पास रावलपिंडी से जो भाई आज मिलने आए थे वे तो तगड़े थे, बहादुर थे और व्यापार में दक्ष थे। मैंने तो उस भाई से कहा आप शांत रहें और आखिर में तो ईश्वर बड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर न हो। उसका भजन करो और उसका नाम लो, सब अच्छा हो जाएगा।" उन्होंने पूछा, 'वहां पाकिस्तान में जो पड़े हैं, उनका क्या करें?' मैंने उनको कहा, **'आप यहां आए क्यों, वहां मर क्यों नहीं गए?'** मैं तो इसी चीज पर कायम हूं कि हम पर जुल्म हों तो भी हम जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहें मर जाएं। लोग मार डालें तो मर जाएं, यह न कहें कि हम अब क्या कर सकते हैं, मकान नहीं, कुछ नहीं, मकान तो पड़ा है धरती माता हमारा मकान है, ऊपर आकाश है। जो मुसलमान डर से भाग गए, उनके मकान पड़े हैं, जमीन पड़ी हैं! तो क्या मैं कहूं कि आप मुसलमानों के घरों में चले जाएं? मेरी जुबान से ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानों के घर कल तक थे, वे आज उनके हैं। उसमें जो हमारे शरणार्थी हैं वे अपने आप चले जाएं! मैं आपको यह परामर्श दूंगा कि आप सिक्ख और हिन्दू शरणार्थियों को कहें कि वे पुलिस औरसेना की सहायता के बिना पाकिस्तान में अपने स्थान पर जाएं।" (२३ सितम्बर १९४७)

(ग) "जो लोग पंजाब में मर चुके हैं, उनमें से एक भी वापिस नहीं आ सकता। हमें भी अन्त में मरना है। यह सच है कि वे कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं है। ×× मारने वाले तो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हमारे भाई अपना धर्म बदल दें तो क्या वे अपने भाई न रहेंगे?" ××

(१०४) ×× मेरे विचार में गांधीजी के समक्ष काश्मीर की नहीं शेख अब्दुला के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न था और इसलिए उन्होंने इस युद्ध को अपनी स्वीकृति दी। काश्मीर के हिन्दू महाराज से सत्ता छीन कर शेख और उसके बहाने मुसलमानें को काश्मीर का दान, यह गांधीवादी सरकार का उद्देश्य था। इसलिए गांधीजी ने अनुमति दे दी कि काश्मीर से सेना द्वारा आक्रमणकारियों को निकाला जाए। गांधीजा काश्मीर के युद्ध की भयानक कहानी प्रतिदिन पढ़ रहे थे लेकिन फिर भी इसलिए व्रत रखे हुये थे कि उनकी दृष्टि में दिल्ली में थोड़े से मुसलमान असुरक्षित थे। उन्होंने काश्मीर पर आक्रमण करने वालों के सामने व्रत नहीं किया, न वहां सत्याग्रह ही किया। उनके सब व्रत हिन्दुओं को कुचलने के लिए थे।

(१०५) मैं इस तथ्य को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं कि एक बहरूपिए को सारे भारत का नेता मान लिया जाए। जिस महात्मा के मन पर उन अत्याचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो हैदराबाद में हिन्दुओं पर हुए। जिस महात्मा ने निजाम हैदराबाद को अत्याचार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। यदि भारत गांधी जी के कहने पर चलता रहा तो विभाजित भारत की स्वतन्त्रता भी संकट में पड़ जाएगी। इस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। इन्हीं दिनों गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए १३ जनवरी १९४७ को उपवास की घोषणा कर दी,

यह मैं सहन न कर सका।

(१०७) मुझे तीन राजनैतिक दलों के परस्पर सम्बन्ध का भली भांति ज्ञान था। मुस्लिम लीग कांग्रेस को हिन्दू दल कहती थी, **लेकिन कांग्रेसियों को हिन्दू कह देना तो मानो उनको गाली देना है।**

(१०९) जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुस्लिम दल मान लिया तो उसे चाहिए था कि महासभा को हिन्दुओं का प्रतिनिधि मानती या घोषणा करती कि हिन्दुओं के हितों की रक्षा महासभा करेगी या स्वयं कांग्रेस करेगी, किन्तु कांग्रेस ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो शक्तिशाली मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों की रक्षा करती रही, दूसरी ओर, कांग्रेस के मुसलमान भी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करते रहे। हिन्दुओं की रक्षा करने वाला कोई न था। ××

(११०) ×× जिन देशभक्त क्रान्तिकारियों ने प्रसन्नतापूर्वक फांसी के फन्दे को गले लगाया था, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए आजीवन कारावास और देश-निर्वासन की यातनाएं भोगी थीं, क्या वे लोग इसी विभाजित देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़े थे? उनके बलिदानों का क्या यही परिणाम उचित था कि देश खण्डित हो जाए और उसके एक हिस्से पर एक विदेशी सम्प्रदाय राज्य करें?

(११२) मैंने गांधीजी को राजनैतिक क्षेत्र से सदा के लिए हटाने का निश्चय किया। मैं जानता था वैयक्तिक स्तर पर मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं धनी नहीं हूं! मध्य वर्ग का हूं। ××

(११५) सन् १९३५ में महासभा ने हैदराबाद में आन्दोलन किया तो मैं पहला जत्था लेकर गया। मुझे एक वर्ष का कारावास मिला। मुझे हैदराबाद निजाम की बर्बरता और दानवता का व्यक्तिगत अनुभव है। वन्देमातरम् गाने पर वहां मुझे कई बार बैंते लगाई गई थीं।

(११७) जो मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं वे मेरी शान्त प्रकृति को जानते हैं, किन्तु जब उच्च नेताओं ने गांधीजी की सहमति से मातृभूमि के टुकड़े कर डाले तब मेरा हृदय क्षोभ से भर गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का शत्रु नहीं। मैं इस संस्था को सबसे अधिक महत्व देता रहा, क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए काम किया था। मेरा नेताओं से मतभेद था तथा अब तक है। ××

(११८) गांधीजी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश-प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुईं उनके लिये उत्तरदायी केवल गांधीजी थे। मुझे यह पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में मेरा जितना आदर है, वह नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह

मेरी निन्दा करेंगे, **किन्तु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे।**

(१२०) कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए यह बहाना बनाया। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। ×× तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका? मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की एक ही पॉलिसी रही औरवह यह कि पहले यवनों की मांगों पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अन्त में आत्म-समर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई।

(१२१) १५ अगस्त, १९४७ को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रान्त और सिंध के हिन्दुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्म-निष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही, साम्प्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिन्ना की सब बात मानली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। **पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिन्दुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता।** मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिन्दुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिन्दुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। इस प्रकार हिन्दू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझें इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूं।

(१२२) प्रतिदिन सहस्रों हिन्दुओं का संहार होता था। पन्द्रह हजार सिक्खों को गोलियों से भून दिया गया। हिन्दू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिन्दुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। चालीस मील लम्बा हिन्दू निराश्रितों का जत्था हिन्दुस्तान की ओर आ रहा था। हिन्दुस्तान का शासन इस भयानक कृत्य का कैसा भयानक निवारण करता था? उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियों फैंककर।

(१२४) जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं। तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधीजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिन्दू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उसका मूल कारण गांधी हैं। **यदि भारत की राजनीति को भलीभांति संभाला जाता तो ऐसा हिन्दू-संहार कभी न होता जैसा अब हुआ और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता।**

(१२५) सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं में गांधीजी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधीजी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष के किसी भी विचार को स्वागत करने के लिए तैयार न थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मान्ध मुस्लिम राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधीजी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल न हो पाता।

(१२६) इन्हीं दिनों उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखीं वे सब भी केवल हिन्दुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थीं।

(१२७) गांधीजी के अनशन की जो शर्तें थीं उनमें पहले यह थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिन्दू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधीजी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार करवाई। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधीजी की जिद्द को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधीजी ने अनशन खोला, उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा से अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुम्ब के कुटुम्ब मस्जिदों से दीं के मारे कांपते हुए निकाले गये। उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुम्ब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए "गांधीजी हमें स्थान दो।" उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिछल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं नहीं। गांधीजी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था, जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिन्दू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिन्दू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे, उन्हें यहां कोई स्थान नहीं मिला। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यदि इन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कूचों में न पड़े रहकर पंजाब में बीती हुई दुर्घटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की व्यर्थ पड़ी मस्जिदों में शरण ली। मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिदें मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थीं। गांधीजी ने यह निश्चय किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए तो उनके रहने का दूसरा प्रबन्ध क्यों नहीं कराया? उन्होंने

पाकिस्तान के मंदिर हिन्दुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की? जिससे पता चलता कि गांधीजी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी हैं, हिन्दू-मुस्लिम एकता के इच्छुक हैं और उनमें निष्पक्ष आत्म शक्ति हैं। गांधीजी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधीजी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेशमात्र दुःख न होता। उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिन्ना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्म-शक्ति की परवाह नहीं करती।

(१२९) अब ५५ करोड़ रुपयों की बात लीजिए। उप-प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए। गांधी ने स्वयं कहा है कि किसी गवर्नमेण्ट से उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है। लेकिन भारत सरकार ने गांधीजी के अनशन के कारण पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये न देने का अपना निर्णय बदल दिया। (गांधी जी का २१ जनवरी १९४८ का प्रार्थना प्रवचन देखिए)। सरकार ने ५५ करोड़ न देने का अपना निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधीजी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि गांधीजी की पाकिस्तान-परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है।

(१३०) मुसलमानों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन का विरोध किया, इसलिए पाकिस्तान बना। जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पांचवें स्तम्भी (Fifth Columnists) कहा गया है। उनकी निन्दा की गई है, परन्तु मेरी दृष्टि में गांधीजी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकी।

(१३१) इस स्थिति में हिन्दुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधीजी का अन्त कर दिया जाए।

(१३२) गांधी जी राष्ट्र पिता के नाम से पुकारे जाते थे, जो अत्यन्त सम्मान का पद है। पर वे 'पिता' का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के दो टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से यह मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे न बनापाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधीजी ने जनता को धोखा दिया और स्वयं को पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया है। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अन्त कर दिया जाए जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्रपिता, किन्तु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सर्वाधिक हाथ बंटाया है।

(१३३) हैदराबाद की समस्या का भी यही इतिहास है। निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिन्दुओं पर किए उनका वर्णन करने की आवश्यकता

नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री लाइकअली जनवरी, १९४८ के अन्तिम सप्ताह में गांधीजी से मिले थे। शीघ्र ही पता लग गया कि गांधीजी का व्यवहार इस विषय में भी विचित्र है। जिस प्रकार उन्होंने सुहरावर्दी को अपनाया था, उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझकर व्यवहार करेंगे, यह बिलकुल स्पष्ट था। जब तक गांधीजी जीवित थे, तब तक सरकार हैदराबाद के विरुद्ध कुछ न कर सकी, यद्यपि वह पूर्ण अधिकार और शक्ति सम्पन्न थी। यदि गांधीजी के जीवन में ही भारत सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कार्यवाही करने का निश्चय करती तो गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपने निश्चय बदलने पर बाध्य कर देते, जिस प्रकार ५५ करोड़ रुपये पाकिस्तान को न देने का निर्णय वापिस लेना पड़ा था। ××

(१३४) गांधीजी के अहिंसा सिद्धान्त के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ×× कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधीजी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है यह अहिंसा (नपुंसकता) देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा।

(१३५) मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधीजी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे। मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, नष्ट हो जाएगा किन्तु साथ में मैं यह भी जानता था कि गांधीजी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र-प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा, किन्तु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। ×× देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोच कर मैंने गांधी जी का अन्त करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। ३० जनवरी १९४८ के दिन मैंने गांधीजी का वध किया।

(१३६) मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आपको इस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिन्दुओं पर घोर संकट आए और हिन्दू नष्ट हुए।

(१३७) वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अन्त हो गया था जब मैंने

गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात् मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिये यह संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है।

(१३८) हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी की मृत्यु के बाद शस्त्र-शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। ××

(१३९) मैं यह मानने का तैयार हूं कि गांधीजी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परन्तु दु:ख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देश भक्तों और नेताअें के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधीजी से अधिक बलिदान किये हैं। कुछ भी हो, गांधीजी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। **उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किन्तु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधीजी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दण्ड दिया जा सकता, इसलिए मैंने गांधीजी को गोली मारी। उनको दण्ड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था।**

(१४०) ×× मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधीजी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके, भयानक रूप से देश के एक सम्प्रदाय का जो पक्ष लिया है उस का उसे दण्ड भोगना पड़ा। ××

(१४१) मेरी न किसी से कोई शत्रुता है और न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। ×× वे (प्रधानमंत्री नेहरू) धर्म-निरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बाते करते हैं जबकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया है। **उन्हें सोचना चाहिए था कि साम्प्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक न होगा।** ××

(१४२) ××मैं किसी की दया नहीं चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे।

(१४३) ×× इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरादायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि ३० जनवरी १९४८ के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परि परीक्षा (Cross Examination) न ली जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी और मेरे विधि विशेषज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा।

(१४६) अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वह सत्य

और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रन्थों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इण्डियन ईयर बुक, कांग्रेस का इतिहास गांधीजी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इण्डिया और हरिजन की फाइलें ओर गांधीजी की प्रार्थना सभा के भाषणों से यह वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने यह लम्बा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, **बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली-भांति जान जाएं और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे।**

(१४७) भगवान करे हमारा देश फिर अखण्ड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है।

(१४९) यह सत्य है कि मैंने तीन चार सौ लोगों के बीच दिन के समय गांधीजी पर गोलियां चलाईं। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था। क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था।

(१५०) आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। **मुझे यह किंचित भी सन्देह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकर करेंगे।**

अखण्ड भारत अमर रहे,

वन्देमातरम्

दिल्ली

८ नवम्बर, १९४८

नथूराम विनायक गोडसे

(अभियुक्त क्रमांक १)

परिशिष्ट-३

मृत्यु-पत्र

प्रिय बन्धो! चि. दत्तात्रय वि. गोडसे

मेरे बीमा के रुपये अगर आ जाएं तो उस रुपये का विनियोग आप परिवार के कार्य के लिए करना। रु. २००० आपकी पत्नी के नाम पर। रु. ३००० चि. गोपाल की धर्मपत्नी के नाम पर और रु. २००० आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है।

मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आप अपनी इच्छा से किसी तरह भी इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अन्तिम विशेष इच्छा लिखता हूं।

अपने भारत वर्ष की सीमारेखा सिन्धु नदी है। जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्रीचन दृष्टाओं ने की है। वह सिन्धु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारत वर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहती रहेगी उन दिनों में मेरी अस्थियों या राख का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिन्धु नदी में बहा दिया जाए।

मेरी इस इच्छा के सत्यसृष्टि में आने के लिए शायद और भी एक पीढ़ी (Generations) का समय लग जाए तो भी चिन्ता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखा जाए और आपके जीवन में वह शुभ दिन अगर न आ पाए तो आप अपने वारिसों को ये मेरी अन्तिम इच्छा बतलाते जाना।

अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बन्ध मुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूं।

मैंने जो १०१ रुपये आपको आज दिए है वो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मन्दिर का पुररुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना।

(नथूराम वि. गोडसे)
१५.११.४९
समय ७.१५ प्रातः

आपका शुभेच्छु
नथूराम वि. गोडसे
१५.११.४९

राम का सन्देश रामभक्तों के नाम

ऐ मेरे भक्तों तुम मेरा नाम लेकर, मेरी उपासना कर, मेरे मन्दिर स्थापित कर, मेरी रामायण गाकर, मेरी कथा सुनकर या सुनाकर, मेरे चित्र लगाकर इस संसार रूपी नैय्या से पार हो जाना चाहते हो?

यह तुम्हारा भ्रम मात्र है। यह तुम्हें तथाकथित विद्वानों साधु-सन्तों ने तुम्हें मूर्ख बना रखा है।

यदि मेरा केवल नाम या भजन, मन्दिर इत्यादि से तुम्हारा कल्याण होता तो यह देश जो तुम्हारा है, आज करोड़ों की संख्या में रावण नहीं होते। तुम्हारे निकट ही आज गली मोहल्लों में हजारों रावण तुम्हारी सीताओं को न हरते। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अनुयायियों तुममें से किसी एक ने भी रावण रूपी राक्षस का वध किया? मैंने तो पिता की इच्छानुसार राजतिलक को ठोकर मार चौदह वर्ष वन में आवास किया। तुम तो अपने सगे भाई से थोड़ी सी सम्पत्ति के लिए उसके दुश्मन बने हो। मेरे भाई लक्ष्मण ने अपना सुख छोड़ कर मेरे साथ चौदह वर्ष वन में काटे, भरत ने चौदह वर्ष तपस्या की। क्या मेरे किसी नाम लेने वाले ने इस पर कभी विचार किया? तुम्हें मेरा नाम, मेरी पूजा, मेरी मूर्ति लगाने, मेरा मन्दिर बनाने आदि का तभी अधिकार होगा जब मेरे अनुरूप कार्य करोगे।

आज देश में करोड़ों की संख्या में रावण हैं। देश में स्थान-स्थान पर लंकाएं हैं और तुम केवल मेरा नाम लेकर ही सन्तुष्ट हो रहे हो। तुमने करोड़ों की संख्या में अपने नाम के आगे पीछे राम लगाकर मुझे आज कलंकित कर रखा है। छोड़ो इस ढोंग को और मेरे अनुरूप कार्य करो तभी इस देश व जाति का उद्धार होगा।

मेरे मन्दिर इन रावण रूपी दुष्टों ने खण्डहर कर दिए हैं। इनका उद्धार तो करोगे ही किन्तु मेरे अनुरूप कार्य भी करो। मुझे तुम्हारी यह पूजा तभी स्वीकार होगी।

मेरे भक्तों यदि यह मेरी वाणी तुम्हें स्वीकार है तो लाखों की संख्या में मेरा यह सन्देश छपवा कर वितरण कर जनता तक पहुंचाओ जिससे देश में सच्चे रामभक्त पैदा हों और मेरे अनुरूप कार्य करें। तभी इस देश का कल्याण होगा।

विकल्प प्रकाशन के सौजन्य से

करोल बाग, नई दिल्ली-११०००५

यह पुस्तक

एक हत्याभियुक्त के 50 वर्ष पूर्व अदालत में

दिए जिस बयान की प्रखर सत्यता से

कांग्रेस सरकार

आशंकित हो उठी थी और

जिसे प्रतिबंधित कर दिया था उस

ऐतिहासिक बयान

का संक्षिप्त सार है जो मातृभूमि के छलपूर्वक

किए त्रासद विभाजन के स्वर्णजयन्ति वर्ष

में इस महाविनाश के नायकों के चेहरों

को बेनकाब करने के पावन उद्देश्य से

राष्ट्र को सादर समर्पित है।

—जगदीश वल्लभ गोस्वामी